

[श्री विजय कुमार मलहोत्रा]

मिनिस्टर की तरफ से पूरा स्टेटमेंट आना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ है, कौन लोग मारे गये हैं और कितने मारे गये हैं।

SHRI G. M. BANATWALLA: Therefore, a full reply must come.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I am on a point of submission. I agree to what Shri Qureshi said. There should be judicial enquiry. We condemn it. I do not want to take sides. But we share the concern and I condemn it. I demand judicial enquiry. The Government should hold a judicial enquiry.

MR. SPEAKER: So far as Shri Banatwalla's point of order is concerned, a copy of the notice under rule 377 will be sent to the Minister. It is open to him to make a full and complete statement. I am not directing him.

(Interruptions)

SHRI G. M. BANATWALLA: He said he has no notice.

MR. SPEAKER: I am not directing him. (Interruptions)

13.28 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—  
contd.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING—contd.

श्री उग्रसैन (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बार बोलने के लिए खड़ा हुआ लेकिन बोल नहीं पाया। आप मेहरबानी करके मेरे समय का खयाल रखियेगा और जल्दी मत बिठाइयेगा।

माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और साथ ही अपने कुछ सूझ ब मदन के समझ रखना चाहूँ। हूँ आकाशवाणी और दूरदर्शन पिछले शासन-काल में एक घराने के व्यक्तिगत स्वार्थों का पक्षपातपूर्ण प्रसार और प्रचार करते रहे। इस विभाग के उद्देश्य और कार्य-प्रणाली पर जितनी विश्वसनीयता और आकर्षण जनता

में होना चाहिए वह अभी नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि जनता पार्टी के शासन काल में जनमानस में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रसारण में विश्वसनीयता पैदा हुई है और एक आकर्षण पैदा हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं वर्गीज समिति की रपट की तारीफ करता हूँ। वर्गीज समिति ने अपने मुझाव में कहा है कि दोनों को मिलाकर आकाशभारती निगम बनाया जाये। आकाशवाणी और दूरदर्शन का स्वायत्तशासी निगम बनाने का मुझाव कोई नया नहीं है। 1948 में भी सदन में इस पर चर्चा उठी थी। 1966 में चंदा कमेटी बैठी थी। उसने भी इस बात की सिफारिश की थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक स्वायत्तशासी निगम होना चाहिए। दुनिया के और भी बहुत से देश हैं जहां दो प्रकार की व्यवस्था है।

अमरीका, एशिया और लेटिन अमरीका के कुछ देशों में—व्यावसायिक आधार पर इसकी व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत आधार पर लोग अपने प्रचार और प्रसारण केन्द्र खोल सकते हैं, उनसे व्यावसायिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे पश्चिम यूरोप के कुछ देश, जापान, आदि जहां स्वशासी निगम की व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को वर्गीज कमेटी की रिपोर्ट को मान कर जल्द से जल्द स्वशासी निगम की स्थापना करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आपकी रिपोर्ट के एक अंश को पढ़ना चाहता हूँ, जिससे मैं इतिफाक करता हूँ, इसमें आपने कहा है—

“वर्ष के दौरान मंत्रालय की गतिविधि की प्रमुख बात आपात-स्थिति के समय प्रैस पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे, उनसे उनको मुक्त करना और प्रैस की स्वतंत्रता बहाल करना था। इसके साथ साथ सरकारी माध्यमों में निष्पक्षता बहाल की गई और उनको दलगत या व्यक्तिगत हितों के स्थान पर राष्ट्रीय नीतियों के प्रचार का साधन बनाया गया।”

हमारे देश में आकाशवाणी केवल मनोरंजन का ही विषय नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से हम ज्ञान-वर्धन का काम भी लेते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे यहां रेडियो के प्रसारण केन्द्रों की संख्या बहुत कम है। अमरीका में इस समय 7500 प्रसारण केन्द्र हैं, जब कि इस देश की जनसंख्या अमरीका के मुकाबले ढाई या तीन गुनी है, फिर भी हमारे यहां केवल 85 रेडियो केन्द्र हैं। मैं इनके विस्तार की योजना के बारे में बराबर अपने पत्नों द्वारा मंत्री जी को सुझाव देता रहा हूँ कि पिछड़े इलाकों में, विशेषकर पूर्वांचल के इलाकों में, आसाम और दक्षिण के बहुत से पिछड़े इलाकों में, मध्य प्रदेश में भी बहुत से पिछड़े इलाके हैं, ऐसे पिछड़े इलाकों में हमें अपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्र खोलने चाहियें। मुझे खुशी है कि आप जयपुर तथा एक अन्य स्थान पर दूरदर्शन का केन्द्र खोल रहे हैं, साथ ही आप बिहार के मुजफ्फरपुर केन्द्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैंने एक सुझाव दिया था—प्रसारण के लिये जो ऊपर प्रक्षेपण यंत्र लगता है, यदि उसमें दो यन्त्र और लगा दिये जायें, एक छपरा के पास लगा दिया जाय और दूसरा उसके आगे बढ़ कर लगा दिया जाय, तो गोरखपुर, देवरिया तथा तमाम पूर्वांचल के इलाके को उससे लाभ मिल सकता है। हम लोग जो उस इलाके में रहने वाले हैं, हम भी उस प्रसारण से लाभ उठा सेंगे।

हमारे यहां अभी भी रेडियो पूर्णतः आकर्षण का केन्द्र नहीं बना है, इसके कई कारण हैं। रेडियो और टेलीविजन केवल मनोरंजन के साधन ही नहीं है, इन से ज्ञान-वर्धन का काम भी लिया जा सकता है। जापान और दूसरे एशियाई देशों में इन के द्वारा पढ़ाई-लिखाई तथा शिक्षा का काम भी लिया जाता है। आज दुनिया में कोई भी सभ्य

देश ऐसा नहीं है, जहां रेडियो की फीस लगती हो, लेकिन हमारे यहां फीस लगती है। फीस के रूप में दो-चार या दस रुपये देने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी एक ग्रामीण को पोस्ट आफिस में जाकर उसको जमा कराने में होती है। मेरा सुझाव है कि रेडियो की फीस समाप्त की जानी चाहिये तथा पिछड़े इलाकों में, सुदूर इलाकों में, जहां केन्द्र नहीं हैं, नये केन्द्रों का फैलाव करना चाहिये। यदि आप वहां केन्द्र न खोल सकें तो कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिये—मैं तकनीकी आदमी तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ—लेकिन आप प्रसारण और प्रक्षेपण के विशेष यन्त्र लगाकर उन इलाकों को भी अपनी प्रसारण योजना में ला सकते हैं।

आपके यहां जो कलाकार हैं, कैजुअल आर्टिस्ट्स हैं—मैं जानता हूँ उनमें बहुत से ऐसे हैं जो एमर्जेन्सी के जमाने में 'इन्दिरा गांधी जिन्दावाद' के नारे लगाया करते थे और आज दूसरे तरीके से नारे लगाते हैं। मुझे यह कहना है कि उन में जो मिशनरी-स्प्रिट के लोग हैं, जो अपने विषय के ज्ञाता हैं, उनको मौका दें। उनको आगे बढ़ायें, उनको रेगुलर करें, उन की नौकरियां पक्की करें। यदि आप इस तरह के सुशिक्षित, सुसंस्कृत लोगों को इसमें रखेंगे तो उनके द्वारा जो प्रसारण होंगे, वे जो चीज आकाशवाणी या दूरदर्शन को देंगे, उससे जनता के सामने ज्ञानवर्द्धक, मनोरंजन और विचार-प्रेरक कार्यक्रम आयेंगे। आज देश के अन्दर जो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है—उसका महत्वपूर्ण चित्र सही रूप में देश की जनता और विदेशों के समक्ष रखा जाना चाहिये। इसलिये रेडियो को सर्वजन-मुलभ बनाने के लिये आप रेडियो फीस को हटा दें।

बैटपियां की लगत भी आज बहुत मंहगी है। ये यह बैटरियां तरह तरह की आती

[श्री उग्रसैन]

हैं, जिन्हें हर आदमी खरीद नहीं सकता है। मैं चाहता हूँ कि इनकी कीमतों को कम किया जाय। इसके साथ ही सस्ते "सोलर-ऊर्जा रेडियो" का विकास कीजिये। रेडियो पर जो देहातों के कार्यक्रम चलते हैं, उन में वृद्धि कीजिये। प्रसारण केन्द्रों में ज्यादातर लोक-भाषा—कन्नड़, तमिल, तेलगू, उड़िया, भोजपुरी, मैथिली, आदि भाषाओं—का प्रयोग होना चाहिये। पटना या गोरखपुर आकाशवाणी से जब मैथिली और भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो उस क्षेत्र की जनता उससे विशेष आनन्दित होती है। हमारी लोक भाषाओं में, मैथिली, भोजपुरी, कोंकणी या दक्षिण की भाषाओं में बड़ी मिठास है। और इस मिठास का रसास्वाद तभी होगा जब उन पिछड़े इलाकों के लोगों को आप उसमें लाएं और उन भाषाओं में फिल्में बनाएं। एक सिनेमा के डाइरेक्टर हैं श्री नजीर हुसैन। उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है "हमारा संसार"। उन्होंने हम से कहा कि आपने देखी है यह फिल्म, कैसी है? हम ने उनसे कहा कि भोजपुरी इलाके की फिल्म बनाते हो लेकिन उसमें मुखोपाध्याय और चट्टोपाध्याय पात्र रखते हो। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। आपको ऐसी फिल्मों में सुखिया, बुछिया, रसिया जैसे पात्र रखने चाहिए। तभी जाकर कुछ हो सकता है। मैं तो बम्बई जाया करता हूँ और मेरे वहाँ पर मित्र है। उनके बीच मैं पांच वर्ष रहा हूँ। मैं उनको भी इस तरह की राय देता हूँ और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब तक इस तरह के प्रसारण नहीं होंगे, तब तक उन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हमारी जनता पार्टी जो प्रोग्राम चला रही है, वह पिछड़े हुए लोगों के लिए है, बेरोजगारों की रोजगार देने की बात वह कर रही है, सत्ता और विशेष रूप से आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके सामाजिक

क्रान्ति ला रही है। आज वह समता और सम्पन्नता की राजनीति को चलाना चाहती है। गांवों में सब जगहों पर वह तभी इसको ला सकती है जब कि देहाती कार्यक्रमों में आप इस तरह की नीति को अपनायेंगे और उनकी भाषा में प्रसारण करेंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि उन इलाकों को तहजीब और तद्दुन को जानने वाले लोगों को आप मौका दें। जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि दिल्ली, कटक और हैदराबाद में भूउपग्रह दूरदर्शन केन्द्र आप चला रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी आप इसको चलाएंगे और जब ऐसा आप करेंगे तो पूर्वांचल के लोगों को आप मौका देंगे। इसके लिए आप क्या करें, इसके बारे में मैं आपको दो, तीन सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो आप राष्ट्रीय सेवा प्रसारण योजना बनाएं। उसका काम आकाशवाणी और दूरदर्शन करेगा। दूसरी आप वाणिज्य सेवा के लिये स्वतन्त्र ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन बनाएं। जो आप विज्ञापन का काम करते हैं, वह भी साथ साथ रखिये और उनका भी कम्पीटीशन हो और वह आकाश-भारती के अन्तर्गत ही हो। विज्ञापन का काम उनसे आप लें और तीसरी टेक्निकल सेवा के लिए आप ट्रान्समीटर कारपोरेशन आफ इंडिया बनायें। यह टेक्निकल सेवा के लिए हो और उसमें जो कमियां होती हैं, उन सबको वह देखें।

अब मैं प्रेस के सम्बन्ध में दो, तीन बातें कहना चाहता हूँ। जो 'समाचार' था, नायर कमेटी ने उसको चार भागों में बांट दिया था, हिन्दुस्तान समाचार, समाचार भारती, यू० एन० आई० और पी०टी०आई०। ऐसा जो किया गया, सो ठीक किया गया लेकिन उनकी जो सविस्तर कंडिशनस हैं, इमोलूमेंट्स हैं, उनकी प्राप्तियां वही रहनी चाहिए। हिन्दुस्तान समाचार की बात मैं बतलाता हूँ। वहाँ पर जो बालेश्वर प्रसाद जी है, वे कुछ और ही बात कहते हैं। वे

कहते हैं कि सर्विस कंडीशन्स हम बदल सकते हैं, पैसे तो हम दे देंगे। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी सर्विस कंडीशन्स थीं और जो उनको 'समाचार' में मिलता था, वह प्राप्तियां उनको मिलनी चाहिए और किसी भी हानत में कम नहीं होनी चाहिए।

एक बात मैं सेन्ट्रल इन्फार्मेशन सर्विस के बारे में कहना चाहता हूँ। इसमें आई०एफ० एस० के आदमी को घुसा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं हैं। ट्रान्सपोर्ट का हेड, वहाँ का जनरल मैनेजर ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि ट्रान्सपोर्ट की बातों को जानता हो और वहाँ पर रहा हो। उसी तरह से आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी ऐसा आदमी उसका हेड होना चाहिए जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की टेक्नालॉजी को जानता हो। वह ऐसा आदमी हो, जो उसमें काम करता हो और उसकी तरक्की करके उसको वहाँ पर बनाया जाए। इस तरह से एग्जीक्यूटिव में नान-एग्जीक्यूटिव का आदमी हेड नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा, तभी जाकर काम ठीक तरह से चल सकता है।

अब मैं फिल्मों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनमें शुद्धता और अच्छी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यह जानवर बड़ा हैरान हुआ और बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि मंत्री जी ने किसिंग को फिल्मों में एलाऊ कर दिया है। क्यों किसिंग को एलाऊ किया गया है और कैसी किसिंग को एलाऊ किया है। अभी आपने देखा कि कल यहाँ दिल्ली में दिन-दिहाड़े डकैती पड़ गई। फिल्मों

में इस तरह की चीजें होने से लोगों में वैसी ही मनोवृत्ति पैदा हो जाती है। मैं बंगलौर गया था और वहाँ आप से मिला भी था। मैंने वहाँ पर कहा था कि फिल्म सेंसर बोर्ड को आप क्रांतिकारी बनाएं। उसमें आप संसद् सदस्यों को रखिए और जानकार लोगों को रखिए। सिनेमा के लोगों को ही उसमें रखने से काम नहीं बनता है। मैं चाहता हूँ कि फिल्मों में ओवसीन सीन और मर्डर और डकैती वाले सीन नहीं होने चाहियें। फिल्मों में हमारे दुःख दर्द की कहानी हो। गरीबी पर आप फिल्म बनाइए, बेकारी पर आप फिल्म बनाइए। मैं तो सत्यजीत राय की बड़ी तारीफ करूंगा उन्होंने एक 'शतरंज के खिलाड़ी' फिल्म बनाई है। बहुत सही फिल्म है। प्रेमचन्द जी ने भी 'शतरंज के खिलाड़ी' लिखा था, जिसको मैंने वचपन में पढ़ा था। अब सत्यजीत राय ने फिल्म 'शतरंज के खिलाड़ी' बनाई है, जिसमें वाजिद अली शाह के जमाने में लखनऊ की तहजीब और तमदुन की कहानी है। कितनी अच्छी यह फिल्म है। अध्यक्ष महोदय, आप भी इसको देखें।

अन्त में मैं एक बात मंत्री जी से निवेदन करके बैठ जाना चाहता हूँ। आपकी जो आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार संस्थायें हैं, इनमें अभी भी नौकरशाही हावी है। यह नौकरशाही उसी जमाने की चली आ रही है जब कि महितरिमा एक सफ़रजंग रोड़ से बैठ कर उसको हुक्म दिया करती थी। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इस नौकरशाही से छुट्टी पायें। हम लोग जो जनतंत्र के हामी हैं, हमको वहाँ हमारा हक नहीं मिलता है। मंत्री जी इस नौकरशाही को वीड आऊट कीजिए।



[श्री उमसैन]

यह उस जमाने की है, यह इस जमाने की नहीं है। यह कांग्रेस के जमाने की नौकरशाही है। इसको आप पेंशन दे दीजिए, आने-जाने का पास दे दीजिए लेकिन इससे आप छुट्टी पाइए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूँ।

**श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज) :**  
अध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का—जो कि इस देश की दुनिया में सरकार और समाज की तस्वीर को अच्छी बना सकता है—इस दृष्टि से बहुत महत्व है। जनता पार्टी की हकूमत के जमाने को छोड़ कर अभी तक जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हैं उनकी बहुत घृणित और गहिँत भूमिका रही है। इस मंत्रालय का काम होना चाहिए था कि वह समाज में जो भ्रातियाँ हैं, उनको दूर करेगा, समाज में जो कुत्सित परम्परायें हैं, उनको दूर करने में सहयोग करता। लेकिन अभी तक रेडियो ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया।

हमारे देश में जो फिल्में बन रही हैं, वे भी इसी तरह की बातों का प्रचार करती हैं जिनसे और भी दकियानूसी विचार फैलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन फिल्मों द्वारा समाज में आज भी भ्रातियाँ फैलाई जा रही हैं। इनके द्वारा यह प्रचार होता है कि देवी-देवताओं की पूजा करो, देवी-देवता इंसान से बड़े हैं, इंसान छोटा है,

भगवान बड़ा है। इस तरह की तस्वीर जब समाज में आती है तो उससे यह मालूम होता है कि इंसान बहुत छोटा है और भगवान बहुत बड़ा है। इससे क्रांति रुक जाती है। अगर फिल्मों का इस्तेमाल सचमुच में ठीक ढंग से किया जाए तो इनके माध्यम से समाज में और देश में नव-रचना का काम किया जा सकता है। अभी हमारे देश में एक फिल्म 'संतोषी मां' दिखाई गई। यह फिल्म इस युग में दिखाई गई जब कि दुनिया का इंसान चन्द्रमा पर जा रहा है, चन्द्रमा को पांव से रौंद कर नीचे आ रहा है, उस समय इस फिल्म के जरिए से यह बताया जा रहा है कि कोई मां पैदा हो गई है, संतोषी मां पैदा हो गयी जो कि इन्सान के भाग्य का फैसला करेगी। ऐसी फिल्मों में देश टूटेगा, नीचे गिरेगा मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्मों पर—जिनमें-देवी देवताओं का प्रचार किया जाता है, इंसान को छोटा कहा जाता है—रोक लगायी जाए और सख्ती से रोक लगाई जाए।

आजकल फिल्मों में दो चीजें दिखायी पड़ती हैं। ताँ एक चीज यह है कि हिंसा और वासना वहाँ प्रदर्शित की जाती हैं। एक और चाकू, छुरे, बम, पिस्तौल से लड़ाइयाँ दिखायी जाती हैं। वहाँ दूसरी ओर महिलाओं के अंगों का उभार दिखाया जाता है ताकि भावुक नौजवानों में कामुकता भड़के। फिल्मों में हिंसात्मक प्रवृत्तियों को उत्तेजित कर के, देश में ताड़-फोड़ और जननंत्र की मूर्ति की बिगाड़ने का काम इन फिल्मों के द्वारा किया जा रहा है।

बड़े बड़े पूंजीपति इस में पूंजी लगाते हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये—पब्लिक सैक्टर तो मैं नहीं कह सकता हूँ—कि छोटे छोटे लोग शेयर खरीदकर कोई कम्पनी बनाये और वे लोग उस में हिस्सेदार हों ताकि जनता का उस कम्पनी पर प्रभाव रहे, पूंजीपतियों का प्रभाव समाप्त हो। ऐसा अगर नहीं किया जाएगा तो व्यवस्था समर्थक ही फिल्में बनेंगी और कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन समाज में या देश में नहीं होने पाएगा।

अब मैं अखबारों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अखबार भी देश में नव रचना का काम बखूबी कर सकते हैं। हमारी सरकार ने अखबारों की जो आजादी दी है उसका दुरुपयोग पूंजीपति लोग कर रहे हैं। पूंजीपतियों के दो औजार हैं। एक का नाम है मुनाफा और दूसरे का नाम है अखबार। पूंजीवाद रूपी गरुड़ के दो पंख हैं, एक का नाम है मुनाफा और दूसरे का नाम है अखबार। अखबार और मुनाफे के आधार पर इन दो पंखों के सहारे पूंजीवादी ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता रहता है और उसने देश को पंगु बनाया हुआ है। उत्पादन बढ़ने देता है न बेरोजगारी की समस्या को हल होने देता है और न समाजवाद आने देता है। प्रतिक्रियावादी हवा को ही फँलाता रहता है। अखबारों को कौन कंट्रोल करता है? बड़े बड़े पूंजीपति जो स्टील बनाते हैं, चीनी, जूट आदि तैयार करते हैं वही उन पर भी कब्जा किए हुए हैं। इसलिए अखबारों का काम ठीक करने के लिए जनतंत्र की इमारत को मजबूत करने के लिए पूंजीपतियों के कब्जे से अखबारों को निकालना होगा और छोटे छोटे शेयरों के जरिये, छोटे छोटे शेयर बेच कर कम्पनी बना कर, पब्लिक कम्पनी बना कर अखबारों को चलाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो पूंजीपति लोग अखबारों के जरिये छोटी छोटी बातों को नूल दे कर देश में गुमराहकारी हवा पैदा किये रहेंगे जैसा आपने देखा है कि आर्यन्नत ने की है। उसने इस

तरह से लिखा है जैसे बिहार में तूफान आ गया हो और आरक्षण के विरोध में सारा बिहार हो गया हो। धरती पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं लेकिन उसने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा। जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत हुआ लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा कर उसने लिखा।

सहारनपुर में जो घटना हुई है उसको भी आप देखें। वहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी भाषण करने गई थीं। वहाँ जो घटना हुई अखबार वालों में हैडिंग बना दिया कि छुरा ले कर ड्राइवर पर वार किया गया। एक डेला लग गया था सिर पर और थोड़ा सिर फट गया था और टांके लग गए थे लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा कर इसको पेश किया गया। लेकिन जो विरोधी वहाँ पर थे उनको ज्यादा मार पड़ी, उनको ज्यादा टांके लगे। बढ़ा चढ़ा कर, तोड़ मरोड़ कर कभी एक पक्ष की और कभी दूसरे पक्ष की खबरें छपी जाती हैं।

आप देखें कि सारे अखबार आज जनता पार्टी के खिलाफ क्यों हो गए हैं? कारण यह है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो अपनी आर्थिक नीति घोषित की है उसमें कहा है कि बड़े बड़े पूंजीपति देश में जो उत्पादन करेंगे, बड़े बड़े कारखानों में तो उनको अपना सामान विदेशी बाजार में बेचना होगा। कम्पैटिशन करना होगा और विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। तो उन्होंने देखा कि हमारी मौत नजदीक आ रही है। अगर जनता पार्टी की हुकूमत रह गई तो हमारा सफ़ाया हो जायगा और इसीलिये वह चाहते हैं कि जनता पार्टी जाये और पूंजीपति लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि जनता पार्टी की छवि को बिगाड़ा जाये।

आकाशवाणी के बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें हिन्दी को दबाया जा रहा है और अंग्रेजी को ही प्रश्रय दिया जा रहा है

[श्रीराम अवधेश सिंह]

क्योंकि हिन्दी के प्रमाणिक समाचारों के प्रसारण के पहले अंग्रेजी विभाग से मांगा जाता है कि यह प्रसारण किया जाये कि नहीं। तो यह भी एक हिन्दी की दासता की स्थिति अभी कायम है, इसको बन्द किया जाना चाहिये। पी० आई० बी० जो समाचार प्रसारित करती है पहले अंग्रेजी में करती है। प्रधान मंत्री का ही भाषण अगर हिन्दी में, मराठी में, गुजराती में हो तो भी पहले प्रसारण अंग्रेजी में आयेगा। इस बात को रोकना चाहिये।

वरधीस कमेटी के बारे में कहना चाहता हूँ कि.....

MR. SPEAKER: You have taken more than 12 minutes; please conclude now.

श्री राम अवधेश सिंह :

Two minutes more.

केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रधान के पद पर, जैसा उयसेन जी ने कहा, बाहर से अधिकारी लाया जा रहा है। विदेशी सेवा के अधिकारी को यह आई० ए० एस० काडर से मांगा जाता है। हमको एक बीमारी हो गई है कि आई० ए० एस० अधिकारी बहुत अच्छा होगा, इस बीमारी को हमें दूर करना चाहिये।

मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सूचना प्रसारण विभाग में अच्छा काम हुआ है, आपने प्रसारण माध्यम को आजाद कर दिया, समाचारों को आजाद कर दिया और यह भी करते जा रहे हैं कि ब्रौडकास्टिंग एजेन्सी को औटोनामस बना दिया जाय। यह सराहनीय काम है।

पटना रेडियो स्टेशन से दो समाचार बुलेटिन होने चाहिये। अभी साढ़े सात बजे 10 मिगट का बुलेटिन होता है और लोगों को दिन में कोई समाचार नहीं मिलते

केवल शाम को साढ़े सात बजे समाचार बुलेटिन प्रसारित होता है। मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट का न्यूज बुलेटिन शाम को और 15 मिनट का सुबह कर दिया जाय ताकि बिहार के लोगों को समाचार मिलें। साथ ही पटना में जो बहुत दिनों से पदाधिकारी हैं रेडियो स्टेशन में, समाचार विभाग में उनका तबादला कर दिया जाय। क्योंकि एक जगह इतने दिन रहने से उनका रिश्ता बन जाता है राजनीतियों से और अभी भी कांग्रेस के लोगों का ज्यादा प्रचार पटना रेडियो से होता है जो वेमतेलब होता है, और हमारा प्रचार नहीं होता है।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि पटना रेडियो स्टेशन के बारे में मंत्री जी कटेगोरिकल जवाब दें।

MR. SPEAKER: Shri Vasant Sathe. Your party has 13 minutes; it is a matter for members of your party; you can divide it among Yourselves. The Anna DMK has 8 minutes; Mr. Sinha may take four or five minutes and then the Minister will reply. The Congress party has got only 4 minutes; it can be made five minutes.

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): Five minutes more.

MR. SPEAKER: No, No.

13.55 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

SHRI VASANT SATHE (Akola): To begin with, I must express my serious apprehension about the entire working of the Information and Broadcasting Ministry. Although we have in Mr. Advani a very capable and a balanced person—as an individual. I have tremendous appreciation for his qualities—what is disturbing is that the whole

information media as well as the broadcasting media in the country today is, as if with a vengence, now recoiling to another extreme. We find that today the whole working seems to be still obsessed by what has happened in those nineteen months; and in trying to reverse, every step is taken to completely distort the functioning of both AIR and TV. I will not go into the question of Verghese Committee Report because that will come in due course and we will discuss that when it comes. But what is surprising is that while proclamation is made by the hon. Minister that now the press is free, now the radio gives a more balanced picture and there is no partiality, actually it is not so. Now the first example of partiality of the media is in giving advertisements to the press. I cited that day one example. The hon. Minister was not there. There is a newspaper in Nagpur called Lokmath. On 21st January, Mrs Gandhi visited that region and it was publicised widely in this news paper. On 25th January, a letter comes—here is a copy of that letter signed by Shri K. K. Puri, Deputy Director (Advertisement) of DAVP and the letter reads:

"To The Advertising Manager,  
Lokmath, Nagpur.

Dear Sir, we are sorry to inform you that in view of the need for economy it will not be possible for us to release further UPSC advertisements to your paper from this week. Your paper will, however, continue to receive other suitable advertisements as before." No UPSC advertisement for economy reasons to a newspaper whose circulation is forty thousand? The very next week, another newspaper of Nagpur, run by an RSS Agency called Yogdharma, which my friend Mr. Advani knows intimately and which has a circulation of seven thousand, got a full page UPSC advertisement for economy reasons obviously. A newspaper which has a circulation of seven thousand gets a full page UPSC advertisement the next week when this letter comes to Lokmath, as a

punishment for forty thousand circulation, for publishing new, favourable news about Mrs Gandhi—is this your impartiality?

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर):  
लोकमत की जगह इंदिरा का मत लिखें...

SHRI VASANT SATHE:

तो मिला जायेगा

14.00 hrs.

Sir, this is one example. Then we come to the more glaring example of RSS infiltration in the entire media. I want Shri Advani to take serious note of this. It was all right, from 15th you are going to have separation of the news media into Hindustan Samachar, Samachar Bharati, and other agencies. But, Sir, it is disturbing to learn that the first act of Mr. Advani was to advise Samachar Bharati to merge with Hindustan Samachar, an organisation run, managed and controlled by the RSS and of which I am told Shri Advani can contradict, that Shri Advani is a shareholder.

Sir, In this Hindustan Samachar, the attempt was first either to browbeat Samachar Bharati into merging with Hindustan Samachar or if that does not succeed, then to kill that organisation financially. This was attempted to be done by increasing the aid given to Hindustan Samachar, as against Samachar Bharati and a second more serious attempt was to allow Hindustan Samachar to have its office in the PTI building and make the news files and all other machinery available to Hindustan Samachar. The idea, was, as per the famous RSS slogan, to infiltrate, capture and consolidate the strength. The idea is to infiltrate into the PTI, entirely capture the news media and then consolidate the strength. I want the House to take note of this. It is all right, one can be very suave, but the danger must be seen. If one particular organisation which claims to be a cultural organisation, but yet deliberately tries to infiltrate in such media,

[Shri Vasant Sathe]

what will happen to the freedom of the media tomorrow? Sir, in this attempt the seriousness is more grave because the Audit Report of Hindustan Samachar, of which I have a copy here, by the Chartered Accountants, M/s. B. S. Vaid & Co. reveals that two gentlemen, namely, Shri B. P. Aggarwal and Shri N. V. Lele, were not even elected members of the Managing Committee. Further in the Managing Committee meeting held on 13th November 1974 Shri B. P. Aggarwal was appointed Secretary and Shri N. V. Lele as Treasurer. Can you understand this? And the Chartered Accountants have raised objection that one set of people was appointed office bearers even without being elected. In this very Audit Report they have pointed out that Rs. 3,82,00 have been shown as bills payable as per schedule. "We have asked." The Chartered Accountants said, "for details of the parties from whom these amounts were due from branch offices." The Secretary has explained that details of the outstanding bills will be submitted along with the accounts of the next year. And that next year never dawned. Therefore, we have not been able to verify the correctness or otherwise of these balances. This organization, viz. Hindustan Samachar has been doling out funds to RSS. I beg to make this charge; they have been used for the purpose of this organization capturing the other organization. To-day, even in the radio and other media, persons are being appointed systematically. I would like Mr. Advani to give me a list of persons who have been appointed during the last year. And one can easily score and point out who are the persons.

AN HON. MEMBER: You name just one person.

SHRI VASANT SATHE: So many I can name; don't worry about it. I don't want my time to be taken by you.

One more point and I will finish; it is about the induction into the Central

Information Service of persons from outside. Unfortunately, there again Government is trying to rely on the Verghese Committee. But the Verghese group has failed to understand the role of the CIS officers in AIR and TV news. They thought that the incumbents were aliens he described them as 'on deputations'. The fact is that ever since the inception of the News Division, all the posts of editors, correspondents, deputy directors and directors have been filled from among the officers of CIS. Though the Service was constituted in 1960, all their news personnel working against the above mentioned posts at that time were inducted into the CIS; and hence the News Division was manned by the officers of this Service from the very beginning. An attempt is now being made to bring in people from outside. I do not know why a man from Foreign Service—and I am told that he himself is not willing—is sought to be brought in. I do not know why the Minister was keen to bring him into this Service, as if only he is an expert. This will demoralize these officers who have been experts and are working in the CIS. They will not get the chance. If one top post is filled up by an outside, 4 posts down below will starve. Why do you do this?

There is another point. You have an erroneous view that the moment a man becomes a judge, from that day he becomes perfect in character, integrity and knowledge. Everywhere you want to bring in outsiders. Expertise has been developed in AIR and TV. Give scope to them. I therefore strongly object to this attitude.

About news coverage, my friend has been saying since yesterday that they gave 49 per cent and 51 per cent to different categories. But if you take into account the Shah Commission's report and if you take into account all the criticism that is showered on Shrimati Indira Gandhi and her son (*Interruptions*)—and then also the motion made of Mr Sathe in the TV

where the learned commentator added even his own comment to what the hon. Speaker or the Prime Minister had to say—I think your percentage will go up. Why do you restrict it only to 49? It may be even more in favour, of course, of the opposition. Therefore, this is the idea of your percentage of giving coverage to the opposition. Yesterday, Shri Kanwar Lal Gupta was saying about the prominence you have given to Shrimati Indira Gandhi. He was comparing the position after your regime started with the position before and he said it is much more. But it is all abuse; *badnam kiya, badnam kiya*. He said that Shri Advani is the agent of Shri Sanjay Gandhi and Shrimati Indira Gandhi. I do not know. Shri Kanwar Lal Gupta may say that and it is for Shri Advani to refute.

I would only like to say one word about films, one suggestion rather. I would suggest that you should seriously consider the question of the Government taking over the distribution. Then only you will be able to regulate the quality of production and type of production and also proper distribution of films to the people. Even without nationalisation Government can take over.

Then, I have been feeling for a long time the lack of films about great artistes. We should have films about Balgandharv and Khan Saheb Abdul Karim Khan. We should be able to see visual films of these great stalwarts in their fields. Now we are deprived of that. Why not have a practice of having full length films of at least half an hour or one hour about persons like Bhimsen. These are great persons of their own right. You should have full length films at the peak of their lives. Have these documentaries for further display. Even for dancers, in the peak of their lives, have films of their performances, persons like Yamini or Sonal Mansingh; for Kathak you can have films on Sitara Devi and Brij Maharaj. Do it in the

prime of their lives so that it becomes a permanent story.

With these words thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I hope that Shri Advani will take note of my comments.

**डा० रामजी सिंह (भागलपुर) :**

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों पर गत वर्ष बहस नहीं हो सकी थी, इसलिए एक वर्ष में जो सारे कार्यक्रम हुए हैं, उन के लिए हम सबसे पहले तो अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। सूचना और प्रसारण का यह वर्ष स्वर्ण जयन्ती का भी वर्ष है, इस के लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं।

यह सही बात है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जितना महत्व है, उसके अनुपात में इसे अनुदान नहीं मिलता है और इस विभाग को तो शिक्षा विभाग से भी थोड़ा कम ही अनुदान मिलता है। 1972-73 में 1030 लाख रुपये, 1973-74 में 1148 लाख रुपये और अब यह बढ़ कर 1800 लाख रुपये हो गये हैं। आज विज्ञान का जितना विकास हुआ है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जितना महत्व है, उसके अनुरूप उसे अनुदान बहुत ही कम मिला है।

हमारे माननीय साठे जी चाहे जो कुछ भी कहें, हमारी जनता सरकार को अगर किसी एक विभाग पर अत्यन्त गर्व करने की बात है, तो वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। इस एक वर्ष के अन्दर इस विभाग ने भारतवर्ष में सचमुच में स्वतंत्रता के द्वार खोल दिये हैं। इसने आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन-अधिनियम का अन्त कर दिया। अखबारों पर इस शताब्दी की सबसे खौफनाक पाबन्दी को भी हटाया गया। संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम जिसको 1956 में श्री फिरोज गांधी ने पारित कराया था उसे फिर से राष्ट्र को समर्पित किया

[डा० रामजी सिंह]

गया। आपात स्थिति में जिस प्रेस काउंसिल को तानाशाही हकूमत ने खत्म कर दिया था उसे फिर से राष्ट्र को वापस कर दिया गया। समाचार एजेंसियों की पुनर्स्थापना के लिए श्री कुलदीप नायर की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। गुट-निरपेक्ष समाचार संगम में डी० आर० मनानेकर को नियुक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इस आपातकाल के समय मास मीडिया और प्रसारण का जितना मिसयूज हुआ था, जितना दुरुपयोग किया गया था उसकी जांच के लिए श्री के० के० दास की एक जांच समिति बनायी गयी थी। उस समिति की रिपोर्ट भी हम लोगों के सामने है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने का हमने जो चुनाव के समय वायदा किया था और राष्ट्र को इनको स्वायत्तता प्रदान करने का वचन दिया था, उसके लिए भी वर्गिज कमेटी का गठन किया गया। उसकी रिपोर्ट भी सदन के सामने आने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, अब यह विभाग सारे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। अब इस विभाग का प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी परिवार की तानाशाही जमाने के लिए नहीं होता है बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय साठे हमारे बड़े मित्र हैं। आज जो भी वे बातें कह रहे थे, अब उनकी बातें भी प्रकाश में आयेंगी। यह राष्ट्र को जनता सरकार की देन है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दो-चार बातें माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत सी चीजों की योजनाएँ बनी हैं लेकिन सूचना और प्रसारण की आज तक कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है। वह नीति अभी

भी नहीं बनी है। इस सम्बन्ध में मेरे दो-चार सुझाव हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे।

पहली बात तो यह है कि सूचना और प्रसारण के लिए हम इस विभाग को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें। अगर इस विभाग में स्वतंत्रता नहीं है तो वह सचमुच में बेकार है, वह प्रचार का साधन नहीं है। जो चीज स्वयं भयमुक्त न हो, वह दूसरे को भयमुक्तता प्रदान नहीं कर सकती है। इसके सम्बन्ध में गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था —

“Where the mind is free and head is held high.”

गत एक वर्ष में जनता सरकार ने जो कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन आज हम स्वच्छंद होकर, अपना माथा ऊंचा कर, स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। इसलिये गांधी जी ने भी कहा है —

“Freedom of speech and pen is the foundation of Swaraj”.

एक वर्ष में सचमुच में जनता सरकार ने भय को समाप्त किया है, खोयी हुई स्वतंत्रता को वापस किया है। हमारे कांग्रेस के मित्र पंडित नेहरू पर बहुत गर्व करते हैं और गर्व करना भी चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू को उन 19 महीनों में किस तरह से फांसी पर चढ़ा दिया गया जिन्होंने यह कहा था —

“I have no doubt that even if the Government dislikes liberties taken by the press and considers them dangerous, it is wrong to interfere with the freedom of the press.”

उन्होंने यह कहा था—

“To my mind the freedom of the press is not just a slogan”.

हमारे माननीय साठे जी इस पर विचार करें कि नेहरूजी की आत्मा पर पिछले 19 महीने की घटनाओं से कितनी चोट पहुंची होगी।

आपने उस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को अपने पैरों के तले रौंद दिया था। अध्यक्ष महोदय, प्रेस स्वतंत्रता के लिए इंटरनेशनल कमिशन आफ जूरिस्ट्स ने भी यही बात कही है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ —

“Free press which is neither directed by the executive nor subjected to censorship is a vital element in a free State.”

भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पातंजलि शास्त्री ने भी फ्रीडम आफ प्रेस के विषय में बहुत सी बातें कही थीं। लगता है कि हमारे मित्रगण उन्नीस महीने में गुरुदेव, गांधी जी, नेहरू जी, इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सब को भूल गए थे या सभी को इन्होंने भूला दिया था। इसीलिए हम कहते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रेस की आजादी के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये। उसका पहला फार्मूला होना चाहिये, स्वायत्तता। अगर स्वायत्तता नहीं होगी तो वह नीति बेकार है। उस अवस्था में आज अडवाणी जी की वें बात करेंगे और कल को इंदिरा गांधी की करेंगे। इस वास्ते इसके बारे में हमारी पार्टी ने जो राष्ट्रवासियों को वचन दिया है उसकी पूर्ति हम करें और इस प्रकार से करें कि हमारे विरोधी मित्रों को हम से ईर्ष्या हो, जो हमारा इस सम्बन्ध में सात्विक प्रयास हो, उस पर उनको ईर्ष्या हो।

समूची दुनिया में कई प्रकार की नीतियां चलती हैं। उसके कई स्टाइल हैं। एक मुक्त पूंजीवाद की है, “फ्री कैपिटलिज्म कोओप्रेटिव स्टाइल” है। दूसरी “मोनो-पोली कैपिटलिज्म” की है, जिस को “फासिस्ट स्टाइल” कहा जाता है जो 19 महीने तक भारत में लागू रही थी। तीसरी है मोनो-पोली सोशलिज्म, “कम्युनिस्टिक स्टाइल”

जैसे रूस और चीन में है, प्रावदा और तास एजेंसियां हैं या पीपल्स पेकिंग एजेंसी है। यह जैसे ही है जैसे हमने “समाचार” बना दिया था। हम नहीं चाहते हैं कि सूचना और प्रसारण के लिए केवल एक दिशा हो। जैसे कहा गया है हमारी सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले रहने चाहियें ताकि अगर एक खिड़की से या एक दरवाजे से प्रकाश कम आए तो दूसरी खिड़की या दरवाजे से आ सके। फ्री सोशलिज्म जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है सचमुच में हमारे इस मंत्रालय को उस नीति को अपनाना चाहिये। प्रजा-तांत्रिक तरीके से सब काम होना चाहिये। यह पहली बात है। लेकिन स्वतंत्रता के लिए स्वायत्तता जरूरी है। जब यहां पर तानाशाही हकूमत थी तब एक व्यक्ति ने इसको एक नाम दिया था, “आई एंड बी” मिनिस्ट्री को एक नाम दिया था और उन्होंने कहा था कि आई स्टैंडिंग फॉर “इनएग्जैक्टि-इयुड” एंड बी स्टैंडिंग फॉर “बो बीटिंग”। यही तबका सूचना और प्रसारण मंत्रालय बन गया था।

राष्ट्रीय नीति के लिए दूसरी आवश्यकता यह है कि जो भी प्रसारित किया जाए या जो भी छपे वह प्रामाणिक होना चाहिये, प्रामाणिकता और क्रेडिबिलिटी दूसरी चीज है। एमरजेंसी में जब हम जेलों में थे और आकाशवाणी से समाचार आदि प्रसारित होने थे तो हम उसको बन्द कर देते थे। जो सत्य है वही आकाशावाणी हो सकती है, झूठ नहीं हो सकती है वह मिथ्या वाणी होगी। 19 महीने तक आकाशावाणी सचमुच में मिथ्यावाणी थी। वह मुक्त हुई है। इस वास्ते राष्ट्रीय नीति का दूसरा चरण होगा प्रामाणिकता, क्रेडिबिलिटी। सत्य और तथ्य के प्रति आदर होना चाहिये। आप देखें कि 25 नवम्बर 1970 को लोक सभा में विरोधी दल के जो हम लोग थे उस समय हमने कहा था कि सर्वदलीय समिति का गठन हो लेकिन उसको माना नहीं गया। इस पर सारे विरोधी दल



[डा० रामजी सिंह]

के लोगों ने बहिर्गमन किया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के मित्रों को इस बात पर बहिर्गमन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आकाशावाणी की स्वायत्तता के लिए वचनबद्ध हैं।

तीसरा जो इस राष्ट्रीय नीति का अंग होना चाहिये वह जनमुखी कार्यक्रम होना चाहिये, जनभिमुखी कार्यक्रम होना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले तीस साल तक आकाशावाणी शहर और नगर अभिमुख रही है और जनता से विमुख रही है। मैं आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूँ। राजनीतिक कार्यक्रम समाचारपत्रों में 41.38 प्रतिशत स्थान पाते हैं और आकाशावाणी में 65.38। सांस्कृतिक कार्यक्रम समाचार पत्रों में केवल 4.2 प्रतिशत और आकाशावाणी में केवल 1.6 प्रतिशत। चित्रकूट में जो रामायण मेला हुआ है उसका समाचार स्टेट्समैन में द्वितीय पृष्ठ पर जरा सा छपा है। मुझे लगता है इस तरह से देश में राजनीति को महत्व देने से सचमुच में छल-छद्म का वातावरण बनेगा। जनता क्या चाहती है? तु तू और मैं मैं जो हम यहां करते हैं जनता इसको पसन्द नहीं करती है। इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जन अभिमुखी कार्यक्रमों की ओर ध्यान देना चाहिये। अभी तक क्या हुआ है? एमरजेंसी के पीरियड में 1.6 करोड़ एमरजेंसी के प्रचार में लगा था, 1.18 करोड़ एमरजेंसी की पब्लिसिटी अर्थात् एडवॉर्टाइजमेंट्स में दिया गया था।

राष्ट्रीय नीति का तीसरा अंग है जनभाषा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कोई भाषा नीति नहीं है। सचमुच कोई भाषा नीति नहीं होनी चाहिये। उसकी भाषा नीति तो यही होनी चाहिये जो समझ ले। सचमुच हमारी भाषा कैसी होनी चाहिये? बहुत सरल होनी चाहिये जो

जनता समझ सके, न ज्यादा संस्कृतनिष्ठ हो और न पारसीनिष्ठ हो, बल्कि जैसी मुंशी प्रेम चन्द की भाषा थी सरल, वैसी भाषा होनी चाहिये हमारी। पिछले 15 सालों में सरल भाषा करके जो हिन्दी जनता के नजदीक जा सकती थी वह नहीं जा सकी। इसलिये जनभाषा का प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय को करना चाहिये और समझना चाहिये कि हम किसके लिये कर रहे हैं। केवल इलीट के लिये कर रहे हैं या पीड़ित, शोषित और अशिक्षित जनता के लिये कर रहे हैं।

चौथी बात है जन संस्कृति की। मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापार के नाम पर आज भारतीय संगीत और संस्कृति की उपेक्षा हो रही है। फिल्मों में अश्लीलता और अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। संगीत ऐसा होना चाहिये जिसको बेटा, बेटा, पजोडू, सास साथ-साथ सुन सके, और ऐसी ही फिल्म भी होनी चाहिये, यह हमारे भारतवर्ष की मर्यादा है। मंत्री जी तो संस्कृति के उड़े प्रेमी हैं इसलिये आपके मंत्रालय का सांस्कृतिकरण होना चाहिये।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मिनिस्टर्स के प्रचार का साधन नहीं है, बल्कि जन शिक्षण का कार्यक्रम है और इसी रूप में लाना चाहिये। विकास के साथ इसको जोड़ना चाहिये, सामाजिक परिवर्तन के साथ इसको जोड़ना चाहिये। देश में साम्प्रदायिकता आज भी मौजूद है। यह देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ भारत की शिक्षा नीति के साथ भी एक मखौल है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will have to wind it up immediately.

डा० रामजी सिंह : एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, वह है विज्ञापन नीति के सम्बन्ध में। विज्ञापन नीति के सम्बन्ध में दिवाकर कमेटी की रिपोर्ट सामने है। उन्होंने कहा था कि मध्यम और लघु समाचार-पत्रों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये। लेकिन क्या होता है? बड़े समाचार-पत्रों को ४० प्रतिशत विज्ञापन मिलते हैं और

MR. DEPUTY SPEAKER: I will call the next speaker, because the way you are going you would not be able to stop.

डा० राम जी सिंह : उनके सर्कुलेशन में ६० परसेंट विज्ञापन होते हैं। अगर १० पेज का अखबार है तो ६ पेज में केवल विज्ञापन होते हैं। ऐसी नीति में परिवर्तन होना चाहिये। डी० ए० वी० पी० ने स्टेटसमैन और ६२.५ परसेंट टाइम्स आफ इंडिया को ५४ परसेंट और हिन्दुस्तान टाइम्स को ५३ परसेंट विज्ञापन दिये। यह नहीं होना चाहिये।

अन्त में न्यूजप्रिन्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले के आंकड़े हैं जिनसे मालूम होता है कि १७ परसेंट न्यूज-प्रिन्ट स्वदेशी थे और ८३ प्रतिशत विदेशी थे। जनता सरकार में इस स्वावलम्बन को हमें बढ़ाना चाहिये।

और अन्त में श्रम-जीवी पत्रकारों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो भी मंत्रालय का चमत्कार देखते हैं सम्पूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दुनिया में हिन्दुस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमाणिकता हो गई है। नाइजीरिया के प्रसीडेंट के प्रेस सेक्रेटरी हैं जो हिन्दुस्तान के सीखे हुए हैं। लेकिन आज अगर महंगाई १३५ प्रतिशत बढ़ गई है तो श्रम जीवी

पत्रकारों को और कर्मचारियों को केवल ५० परसेंट महंगाई मिलती है। ऐसा नहीं होना होना चाहिये।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया, और सचमुच स्वर्ण जयन्ती के इस वर्ष में सूचना मंत्री को ऐसा सुन्दर ब्रजट लाने के लिये और ऐसा काम करने के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूं।

SHRI PURNA SINHA (Tezpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the other hon. Members have travelled over a wide range of subjects. I am not going to repeat those points. I will try to confine my submission only to one subject, which is in connection with the disallowance of expenditure on advertisements by commercial houses, which is reflected as a counter-productive budget proposal of the Ministry of Finance. It is an invasion on the small and medium newspapers. At first sight it appears to be a reasonable fiscal measure, namely, that only one portion of the companies' expenditure which it devoted to advertisement has been disallowed and the object is mainly a source of revenue which may be about Rs. 31 crores. But if you make an analysis as to what the Government is going to get out of this measure in the budget proposal, you will find that Government will ultimately get only Rs. 15 to 20 crores and not more.

Mr. Deputy-Speaker, as you know, newspaper industry is an extraordinary type of industry. The cost of production of paper is higher than the sale price of newspaper. The paper which is sold for 40 paise would cost 60 paise in production. But the shortfall is made up by the revenue earned from advertisements. As you will find from the report of this Ministry, small newspapers survive mostly on advertisements and not on the sale of paper. The big newspapers also do survive on advertisements, but their share is much bigger. It has been found, on an analysis, that 48.57 per

[Shri Purna Sinha]

cent of space is devoted by small newspapers and 28.69 per cent by medium newspapers, and compared to that, the small newspapers earn 21.38 per cent and big newspapers earn 49.8 per cent in terms of revenue.

From this it will appear that the small newspapers which have to purchase newsprint, Nepa newsprint at Rs. 2,700 per metric tonne and imported newsprint at Rs. 4,000 per metric tonne, cannot continue in business, and as a result of this budget proposal more than ten lakhs of people will be affected. There are 40,000 people engaged in advertising agencies and two lakhs of people engaged in small newspapers. They have got their own family burden; they are maintaining themselves in this profession by working in small newspapers and advertising agencies. All these people will be thrown out of employment as a result of this measure. Only the 103 big newspapers which have a circulation of above 50,000 may survive; they can make up the shortfall in their revenue-earning from advertisements. The small newspapers cannot. The people working in the small newspapers which number about 7,500—some more have been added in the meanwhile—and also in the advertising agencies will suffer together with their families. So, I submit to the hon. Minister that he should take up this matter with the Ministry concerned and see that this measure which has been adopted by the Finance Ministry, of disallowing a certain portion of expenditure incurred by the companies on advertisement is given up, the whole proposal is dropped and that the small newspapers and advertising agencies are freed from the resultant doom that is facing them.

In the same connection, I would like to quote this from the Report of the Working Group on Autonomy for Akashvani & Doordarshan:

“Advertising is an essential part of the marketing function/ It can be informative and educative and can sometimes stimulate competition, break local monopolies or attempts at price fixation, and help improve quality and service. Small producers and cooperatives may in particular find an ally in advertising to hold their own and build a corporate image or a brand. The success of the Amul Cooperative is an outstanding example.”

This is an extract from the Report of the said Working Group.

It is not only the small papers that will be affected: Akashvani and Doordarshan will also be affected because the advertisers will necessarily reduce their expenditure and if AIR-Doordarshan together is earning Rs. 10 crores at present, about Rs. 2 to Rs. 3 crores will be denied to it. These institutions which are essential parts of the Government till now, will also be subjected to reduction in earning.

Therefore, I very stoutly oppose this measure adopted by the Finance Ministry. This is a counter-productive one, which is going to damage the small newspapers, though the Government's intention is to back them and give them more and more advertisements even from its own sources.

Therefore, I conclude my speech by making the statement that this measure taken by the Finance Ministry which indirectly results in curtailment of advertisements, while there are other means of penalising the business houses for the extravagance and the waste committed under the Income-tax laws, should be given up and small newspapers should be allowed to survive—not only to survive but to prosper by getting more and more advertisements for their maintenance.

Yesterday, while speaking on this subject, my Hon. friend Shri Amrit

Nahata made certain observations that newspapers should not be allowed more than 40 per cent space for advertising. That necessarily means that newspapers small or big should be disallowed the right to entertain in print and display advertisements. That is a sort of anti-people's measure which I oppose. Government should not adopt such a policy as to deny the advertising right or advertisement space to the newspapers. They should increase the quantum of advertisements allowed to small newspapers. Though we have been trying to impress upon the Government to give more and more advertisements—display ones and classified ones—we have not been able to do that. Small papers are benefitted.

I have a submission to make to the Minister while complimenting him for presenting this budget and joining other Hon. Members in the compliments given to him—that the interests of the small newspapers and medium newspapers should not be affected in any way. They should receive more and more encouragement to educate the rural masses in national matters and matters of local importance and to display the agricultural or agrarian implements and inputs to the people of our country.

With these words I support the Budget. At the same time I must also mention one or two things which are very small but important. For instance, once the Speaker did not allow certain Hon. Members' speeches to be recorded or ruled that they should go out of the record. Day before yesterday in the evening we heard certain remarks which are not very befitting made by the TV Commentator in the weekly round-up of the business of the House. I did not expect as a Member of the House that it would be referred to on the TV in such a way as it was done. Those Hon. Members who had heard the news on the TV and the commentary on the proceedings of the House during last week, in Hindi, would have per-

haps appreciated that the language used to describe certain incidents like the Speaker disallowing the speeches made by certain Members, was not dignified—that it should not have been reported in the way it was done.

I also find that certain Announcers and News Readers cannot pronounce words in their own mother-tongue properly. One man in whose name the letter 'Roo' occurs, pronounces it as 'Oo'. He cannot pronounce 'Ra' and he cannot pronounce 'Roo'. Similarly, people from other parts of the country who live in Delhi do not use their own language while talking to people and they cannot correctly pronounce words in their own mother-tongue. Only these people should be allowed to read news who can read correctly in that particular regional language they use.

With these words I conclude.

**SHRI K LAKKAPPA (Tumkur)** Mr Deputy-Speaker, Sir, The Government has pronounced to the whole world that they would bring about a change in the basic character of the Ministry of Information and Broadcasting and that they would change the entire system of the organizational set-up etc. They have been in office for more than one year and what we find is that this Government has been engaged only in witch-hunting those who were in power in the previous Government. I would not say anything about what you have been saying about undoing the emergency excesses but we do not find any trace of a progressive approach of this Ministry. They have not even given a face-lift to that.

You have decided to dismantle Samachar in the name of freedom of speech and freedom of expression. This is only being done to enable you to put your own philosophy into these organizations. You want that these organizations should be the mouth-piece of the Janata Party. In Karnataka, we call this Advani Raiko as

[Shri K. Lakkappa]

Advani Radio Advani means 'bad', it is nothing against you, Mr. Minister, but this is what the people say. You are not allowing the All India Radio and the entire mass media to function independently. The creation of four groups is nothing but to encourage the big business houses who are monopolising the newspaper agencies and galloping these advertisements. Thus, you are not only creating confusion, but at the same time you have broken the promises made to the people. The entire mass media is pressed to propagate the philosophy of the Janata Party. The partisan attitude of the Government is clearly visible in Doordarshan All India Radio and the other medias.

The mass media under the Ministry of Information and Broadcasting are expected to reflect the aspirations of the people of the country and to present a balanced view of the whole situation but that is not what is happening. Even the proceedings of this House are not given proper coverage on the Doordarshan and All India Radio, these are controlled, rationed and censored. This is what we call the internal censor of Advani Radio and Doordarshan. This has been raised many times on the floor of this House also. Vital economic and political issues and progressive ideas concerning the aspirations of the people of this country are ignored, on the other hand, you find time to give coverage to the proceedings of the Shah Commission for such a long duration in Hindi as well as English. For that also, you have wasted a lot of money. But you have no time to put out programmes for the uplift of the poor people. You do not pay any attention to unemployment problems or the rural progress of the country. You have not even provided a powerful image to the southern States let alone establishing a Doordarshan Centre in the Karnataka State for which I have written to the Minister several times.

We want to establish and upgrade the Information Centres throughout the Southern States including Karnataka but you have no time to apply your mind.

Then, coming to film censorship, the IFC has become an industrialists' parasite and an advertisements paradise. And, unfortunately, the regional languages of the Southern States do not get sufficient coverage. In that connection we are demanding broadcasting of the Parliament's proceedings and we are asking for live broadcasts. In England they are going to have live broadcasts. Then only people will understand who is speaking and what he is speaking.

As you are aware Sir the maximum coverage in the Doordarshan is given for the vested interests, industrialists and blackmarketeers.

With regard to film censorship one instance comes to my mind very prominently. When from your Mr. Charan Singh is encroaching upon your rights regarding censorship? I want to know Advani Saheb. Objection has been taken to the film 'Rajan Paranoha Katha' and it was not cleared for full six months. You have no regard for the regional language films. Only 2 Kannada films have been allowed for the film festival. But you have no time to apply your mind to Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. Is this not a partisan attitude that you have been showing?

I would like to quote another matter.

MR DEPUTY SPEAKER: There is no time for quotations.

SHRI K. LAKKAPPA: This is a typical example. One Shri Ramesh Chopra, an RSS worker working in DAVP, was recently transferred on alleged corrupt practices. But he has been brought back and reinstated by the hon. Minister at the instance of Shri Nanaji Deshmukh.

Sir, this is how they use this mass media for partisan interests and at the same time, to launch an attack against the previous government. The mass media was being misused for favouritism and for political propaganda—this is their complaint against the previous government. But are you not doing the same thing? I do not agree that our previous government did all the mistakes. I will never agree. But if there is any I am all for rectification. But what do you do? What is the effort that you have put in in that direction? You are doing the same thing.

Therefore Sir there is no balanced coverage in the mass media. Even the views of the people even the functioning of this Parliament and even the proceedings of this House do not get adequate coverage. It is being misused for promoting partisan interests.

MR DEPUTY SPEAKER Please conclude

SHRI K LAKKAPPA Only one minute Sir

Millions of Indians are living abroad. They are very keen to hear about our culture, about our music and about our activities. There is no proper image of the country projected abroad. Whenever we go abroad they come to us with complaints. We cannot hear about our culture, we cannot hear our music. Therefore this is how you have to re-organize the whole thing and see that something is done in that direction to cater to the wishes of lakhs of Indians who are living abroad.

I wish you good luck.

SHRI K MAYATHEVAR (Dindigul)  
I rise to support the Demands of the Ministry of Information and Broadcasting.

As you are aware, information and publicity play an important role as the medium of mass communication. I

want to tell the hon. Minister that the information published and broadcast should be the correct news and should be the correct and true information. It should not be mischievous or misleading news to the country because it will create so much of confusion in the minds of so many States, so many political parties and so many people who are speaking different languages. For instance, my learned friend here, Mr. Unnikrishnan yesterday emphatically pointed out before the hon. Minister and this hon. House that on the 31st March the leader of my party, Shri Somasundaram brought a private member resolution to make English as an additional and associate language along with Hindi. In that, so many hon. Members participated from this side as also from that side who were supporting that English should be an associate language. Majority of the members who spoke supported the resolution and only two members speaking from that side opposed it. It was broadcast and relayed on 1st at 8.45. Instead of saying last day it was wrongly relayed last week. It was further said that a vast majority of the hon. members who participated in the debate opposed the proposal brought forward by the Anna DMK Member suggesting and proposing that English should be the link language. That is a false broadcast made by our Hindi author. I challenge that Hindi author. I am not challenging the Ministry Government or any other staff. I am only challenging a particular person who committed a criminal mischief in this regard. I challenge him. Let this Government come forward and take census of Hindi and non-Hindi people throughout the length and breadth of the country. In that census if we are getting majority of votes supporting that Hindi alone should be link language we can accept that. If the majority of the people vote that English should also be associated as a link language we must accept that version by the people. But some author, sitting somewhere in the All India Radio has committed great mischief and has caused a great wound.

[Shri K. Mayathevar]

and harm to the people of the Southern States, especially to the people of Tamil Nadu and the whole of non-Hindi speaking people. I request the hon. Minister to set right all this mischievous kind of broadcast and publications through this medium of communications.

Yesterday evening my hon. friend, he is not now present, Shri Kanwar Lal Gupta was saying that he was conversant with kissing for 35 years, when he was commenting upon kissing. So much of dialogue is going on from Kanya Kumari to Kashmir in recent months and in recent years whether kissing in cinema film will be accepted or not. Mr. Advani knows my State Government headed by my leader MGR is totally opposed to that kind of thing. We should not import civilisation of the West to this country. Our country is having independent civilisation which is a link between the East and the West, according to Swami Vivekanand under our own tradition and culture. Therefore, we should not demoralise our people by following the so-called civilisation and culture of the West. You should prohibit and drop the proposal, if at all any proposal comes to the Government for allowing kissing programme in the picture because it will demoralise and spoil the entire character of the present and future generation of the country. In the interest of the country it should not be allowed.

It is told by your records and facts and figures that in India 90 per cent of the population hear broadcast and news items through radios, All India Radio as well as Door Darshan Broadcast. Not even 45 to 50 per cent of the population will be coming across or hearing or seeing these kinds of broadcast and televisions.

In Delhi T.V. was introduced in 1956 or 1958. I am subject to correction. I think it was introduced in 1959 in Delhi. It was introduced in Madras city a few years back. In Madras city

it is not properly functioning. The villagers do not know what it means. They do not know what is the definition of television. The middle-class people and the poor people are unable to purchase such kinds of costly sets. Therefore I request the Government, and I request the hon. Minister, to consider the question of reducing the cost-price of these television sets. If that is done, the poor people can be in a position to purchase these sets and then they can follow the Government policies, Programmes and activities in various parts of the country.

Sir, the Chand Committee was constituted by the previous Congress Government. They have recommended the autonomous structure of the All India Radio and Broadcasting and the Television. Although that committee gave report some years ago, it was not considered at all and their recommendations were not implemented. I am happy to note that the present Government is thinking of constituting them as autonomous bodies. I understand that the hon. Minister has received the recommendations of the Verghese Committee on 9th March 1978. Sir, I wish to submit that just like the B.B.C. of London and the Radios of some other countries, Broadcasting systems in our country too should be controlled by the Parliament. They should not be allowed to run them as they like. They should not be allowed to have their own political views and they should not be allowed to propagate any anti-national or anti-social policies. Government should have control whether it is autonomous or a government agency. This is very important.

Sir, it is stated here that the Chief Justice of the Supreme Court should be the Trustee of that Trust Board of the Autonomous Body. These Supreme Court and High Court Judges do not have any time even to write their own judgments. They could not even write their time. Therefore my suggestion is this: You should appoint the leaders of the various political parties along with the officers and

the Judges. Judge alone is not enough. You can have ICS and IAS officers along with judges, with majority of national parties' leaders. They can be appointed for those autonomous bodies. Such political parties must be represented because they know the real feelings of the people. So, this is my submission, and I request the hon. Minister to look into this.

Regarding the coverage of Parliament proceedings we find that even the speeches of MLAs are covered in full in respect of their speeches made in the State Legislatures. They get 1/2 an hour or 1 hour coverage in the evening, morning and mid-day. But here, we discuss all India problems, national problems and we find that our speeches and our names are not properly broadcast. Whenever I go to State capitals I find this. Even MLA's speeches are fully broadcast in the All India Radio. I have nothing against any particular person. Here in Parliament we are participating in the proceedings held by the Supreme Body in the country and so sufficient importance must be given to these proceedings.

#### 15.00 hrs.

Sir, I would request the hon. Minister to specifically introduce a certain advancement or development in the Madras A.I.R. Whenever we want to hear the songs or music, we are only hearing the oldest Carnatic music beginning with the *alapana of dhanana*. This kind of the oldest bandicoot system of music should be avoided in the Madras A.I.R.

This has become a headache. We are only hearing this Carnatic music. So, you must give instructions to the people numbering about fifty or so and who are monopolising in the office. Why don't you transfer them? Why can't you change them and advise them at least to follow the practical rules or principles in the matter of relay of the news which is badly wanted in the present state of affairs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Thevar, you must wind up. I am very sorry you have taken more than the time that is due to you. I cannot give you more time.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: You can extend the time. You give him time so that he may carry on.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At this stage there is no question of extending the time. That will only be doing injustice to those who have already spoken. There is a fixed time. If you want time to be extended, you will not be doing justice. Any extension of time should have been done earlier and not now.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: You can extend the time. The House can decide about this. That is the usual practice here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a question of deciding about the extension of time at this stage. I am very sorry. You cannot decide at this stage about the extension of the time because the whole business schedule has been discussed threadbare in the Business Advisory Committee and certain financial business has to be gone through within a certain limit of time. Therefore, you cannot upset the schedule by asking for extension of time. That is the point. Let him finish.

SHRI K. MAYATHEVAR: I am finishing, Sir, with two sentences. Regarding films, what kind of censorship are you doing in this country? You are allowing almost all nasty pictures to be published which only spoil the quality or character of the younger generation. The students are going to the cinema theaters in the lunch time. They are getting money from their parents and going to see the films showing the ladies who are half-naked or full naked. No doubt I know the Minister is very perfect in all respects. I do not want to comment on each and every aspect of his public life. You are a perfect gentleman—a



[Shri K. Mayathevar]

responsible minister of this Government. I request him to see that sexy things should not be allowed to be published or released. Government should not allow such films which are having dialogues on rape or how to rape. There is a cinema on 'how to rape'. Such a kind of pictures should not be allowed at all. Then, there is another kind of cinema as to how to kidnap ladies. This kind of picture or dialogue or story should not be allowed to be published or shown at all in the cinema films.

There is a cinema on how to cheat and how to commit a bank robbery. You know, Sir, there was a bank robbery yesterday of Rs. 3 lakhs committed in a Karolbagh Bank. Such a kind of picture should not be allowed. Picture is only for the sake of art and for moulding the character of the people and not for allowing the people to cheat, to rape or commit murders. This kind of pictures should not be allowed by Government. With these words, I support the Demands of this Ministry.

**श्री नव ब सिंह चौहान (अलीगढ़) :**  
मान्यवर, लाकप्पा जी की बातों को मुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं एक मिसाल दूंगा उसका वह गलत मतलब न समझें। "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे"। इसका मतलब यह नहीं है कि वह चोर हैं और हम कोतवाल हैं। एक मिसाल दी जाती है। वह कह रहे हैं कि उनकी तरफ से रेडियो को "अडवाणी रेडियो" समझा जाता है। और हम आज भी कह रहे हैं कि "इन्दिरा रेडियो" है। जैसे राजा बदल जाता है, लेकिन सामन्त वही रहते हैं, वही हालत रेडियो की है। किसी से पूछ लीजिये जितनी अफसरशाही पहले थी वही आज भी है। हमारे उग्रसेन जी ने नौकरशाही शब्द कहा, मैं नहीं कहूंगा नौकर छोटा होता है, यहां छोटों की

नहीं चल रही है, उनको टी० वी० रेडियो में दबाया जाता है, और जो ऊंची अफसरशाही है वही सब कुछ है। उसमें मैं सब को दोष नहीं देता, कुछ अच्छे भी अफसर होते हैं, लेकिन सब मिला कर जो इन्दिरा जी के जमाने में भर गये थे वही आज भी हैं और अब भी इन्दिरा जी को देवी के रूप में टी० वी० पर दिखाया जा रहा है। अब भी हमारे देवी, देवताओं को पेंट और कोट में दिखाया जाता है। जो डिस्कशन होते हैं उसमें जनता पार्टी की खुली बुराई होती है। हमारे लिये तो यह अच्छी चीज है क्योंकि पहले तो कुछ नहीं दिखाया जाता था, अब कम से कम आजादी तो है कि गलत चीज भी दिखाई जाती है। तो मेरी शिकायत है कि आज उन्हीं की क्यों चलने दी जाती है। जब अपनी सरकार आयी थी तो होना यह चाहिये था कि गलत आदमियों को निकालते। जिस दिन इमरजेंसी लगायी गई इन्दिरा जी ने अपने एक खास आदमी को बुलाकर मंत्री बना दिया सूचना विभाग का और उसके बनते ही आल इंडिया रेडियो के दो हिस्से कर दिये गये : बहुत से आदमी बड़े बड़े अफसर बना दिये और पचासों आदमी बड़े बड़े प्रोड्यूसर बन गये। शर्म आती है कहने में ऐसे ऐसे अनैतिक काम हुए हैं। आज उसमें कोई तबदीली नहीं आयी। मेरा यही कहना था कि इमरजेंसी के जमाने में जो गलत लोग भरे गये हैं उनकी जांच करायी जाये, उनको यू० पी० एन० सी० के सामने भेजा जाये। लेकिन नियम वैसे के वैसे ही रह गये। अब मंत्री जी से कहा जाता है कि नियम ऐसे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। भला आदमी क्या करे? ठीक है मंत्री जी द्वारा हमसे भी कह दिया जाता है कि नियमानुसार हुआ है। हमने एक जगह और कहा था कि आपातकाल में रेलवेज में जो एडवाइजरी अपीइंटमेंट्स हुए हैं उनकी जांच करायी जाय किन्तु हमारी बात नहीं मानी गई किन्तु

जब रेलव में एक्सीडेंट्स होने शुरू हुए तब जांच करायी जाती है। तो आपने आकाशवाणी दूरदर्शन का जो रूप बदला है इसका तब तक फायदा नहीं होगा जब तक कि इसको इम्प्लीमेंट करने वालों को नहीं बदलेंगे।

इतने दिन हमें यहां पर हो गये, कितने मेम्बरों ने इन्हें पत्र लिखे किन्तु उत्तर अब तक नहीं मिला क्योंकि इनमें ऐसी चीजें होती हैं जिनमें उनकी पोल खुलती है इसलिये उन लैटर्स को दबा दिया जाता है, उनका जवाब ही नहीं आता है, गलत से गलत चीजें होती हैं लोगों को सताया जाता है। हमारा कहना था कि सरकार बदली है, इसके नियम बदलने चाहिये, जो सामन्ती ढांचा है यह बदलना चाहिये, लेकिन नहीं बदला। एक वगे के लिये हमसे कह दिया जाता था कि वरधीस कमेटी का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ उच्च अधिकारी अपने आदमियों को भर रहे थे। हमने कहा इनको भी बन्द करो। और जब वरधीस कमेटी की रिपोर्ट आये तब देख लीजियेगा। तो कहा हम नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह से वह ढांचा चल रहा था जो लाकप्पा साहब की सरकार के जमाने में बनाया गया था। जैसे अक्सर राजाओं के जमाने में पैदा करने वाले किसानों को सताया जाता था उसी तरह से प्रोडक्शन स्टाफ को सताया गया। कोई जरिया नहीं था इनको राहत पहुंचाने का जब तक रूल न बदले जाते। इन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता है। हम कहते रहे कि इस व्यवस्था को ठीक करो। हम समझते हैं कि वरधीस कमेटी ने भी हमारी बातों को साना है और दोनों वर्गों का दर्जा एक कर दिया है, यद्यपि उनका (प्रोड्यूसरों का) दर्जा ऊंचा होना चाहिये

था। अभी तक तो ऊंचे पदाधिकारी की ही मालिक माना जाता है।

कुछ दिन पहले यहीं पर जो प्रोड्यूसर्स है उनको अवार्ड दिये गये थे। लेकिन अवार्ड के लिये वह प्रोड्यूसर्स नहीं बुलाये गये, बल्कि स्टेशन डायरेक्टर्स को बुलाया गया और उनको अवार्ड दिये गये। क्या बात थी, क्या वह आ नहीं सकते थे जिसको इनाम दिये गये? इनका मतलब यह है कि वह इस काबिल नहीं समझे गये थे कि यहां लाये जा सकें? केवल स्टेशन डायरेक्टर्स ही आ सकते थे? इससे मालूम होता है जो मैनेजीरियल स्टाफ है वह नहीं चाहता कि प्रोडक्शन वाले ऊपर आये और वह उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। मुझे हंसी आती है जब इस तरीके की बात करते हैं कि आल इंडिया रेडियो नहीं यह आडवाणी रेडियो है। मुझे तो यही खयाल होता है कि यह अभी भी वैसे का वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया है। पहले जो निरंकुश शासक थे, उनकी जगह अब हमारे जो मिनिस्टर यहां आये हैं वह एक भले आदमी हैं, ईमानदार और सहनशील आदमी है। इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं है।

मैंने पहले भी एतराज उठाया था कि जो भर्ती के नियम हैं, उनको थोड़ा बदलें। जब तक दूसरा नियमों का ढांचा नहीं आयेगा, य नियम चलेंगे तो अन्धाय होता रहेगा, इसलिए इनको बदलना चाहिए। जो सर्वेशन कमेटी बनाई जाती हैं, वह यू० पी० एस० सी० के जरिए से बनाये करना इन्हीं लोगों का ढांचा बना रहेगा और ये अपने आदमियों को लेते रहेंगे।

साथ ही साथ जो छोटी-छोटी फिल्मों, स्टिंगर्स बनते हैं, उनमें लाखों रुपए की धांधली होती है। वहां के बारे में विशेष नियम बनाने

[श्री नवाव सिंह चौहान]

चाहिए और उनमें यह भी एक नियम होना चाहिए कि जो आदमी यहां से रिटायर होकर जाएगा, वह किसी भी फिल्म कम्पनी में नहीं जा सकेगा। वरना जब वह यह समझता है कि उसे जाना है तो वह संबंधित कम्पनी के लोगों के साथ पक्षपात करने लगता है और इस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए का धन बेकार हो जाता है।

इसी प्रकार इंडस टू इन्दिरा फिल्म के बनाने वालों को उसी दिन कंट्रैक्ट दिया गया और उसी दिन बगैर कंट्रैक्ट देखे, 12 लाख रुपया दे दिया गया। 50 वर्षों के लिए वह कंट्रैक्ट किया गया। हमने जब पूछा तो कहा गया कि ऐसी ही परम्परा रही है। हमने पूछा कि बत्ताओ किन-किन को 50 वर्षों का कंट्रैक्ट दिया गया, किनको उसी दिन बगैर कुछ देखे फुल पैमेंट किया गया हो, तो उसका जवाब नदारद। मेरो कहना यह है कि इस तरह की जो खुराफतें हुई हैं, उनको बन्द करना चाहिए जैसा मैंने पहले कहा है। यह नियम बना देना चाहिए कि जो हमारे यहां से रिटायर होगा वह कहीं भी जाकर नौकरी नहीं कर सकेगा। जब ऐसी चीजें आप कर देंगे तो रोक लगेगी। यही नहीं कि कानून बना दें, अगर कानून ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो सब चीजें बेकार हो जायेंगी और ये लोग इसी तरह से मनमानी करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग यहां नहीं हैं। और अंग्रेजी संस्कृति के मानने वाले हैं। वही लोग यहां पर राज्य कर रहे हैं। इस लिए कम-से-कम इस गति को मोड़ना चाहिए, इसका हक भारतीय संस्कृति की ओर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति इतनी विशाल और विस्तृत है कि उसमें सभी प्रकार की उत्तम चीजें आ जाती हैं।

अगर आप चाहते हैं कि नई योजनाएं लागू की जायें तो मेरा कहना यह है कि आप तुरन्त ही बड़ी कड़ाई से इस ढांचे से समुचित परिवर्तन कीजिए, वरना यह ढांचा कुछ नहीं करेगा और कोई तरक्की नहीं हो सकेगी।

जहां तक ब्रज की संस्कृति का सम्बन्ध है, इसको मुसलमानों और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सभी जोगों ने बनाया है। श्री वल्लभाचार्य जो दक्षिण से आये वह इसके मुख्य निर्माण कर्ताओं में से हैं। इस तरह की संस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिए ब्रज क्षेत्र में सिर्फ एक किलोवाट का रेडियो स्टेशन बनाया गया है जिसको ब्रज के क्षेत्र में भी पूरी तरह से नहीं सुना जा सकता है। इसे हरेक आदमी सुनना चाहता है, बंगाल का हो या किसी और जगह का। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यहां पर कम-से-कम 10 किलोवाट का रेडियो स्टेशन बनायें।

साथ ही साथ एक बड़ा रेडियो स्टेशन आगरा में भी बनना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग बड़े अधिकारी हैं वह ब्रज भाषा व ब्रज संस्कृति को नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ब्रज का क्षेत्र दिल्ली के चारों तरफ है लेकिन टी० वी० पर ब्रज का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। वहां तो हिन्दी जानने वाले ही नहीं हैं। वह क्या बोलते हैं, और क्या नहीं बोलते हैं, यह पता नहीं लगता। इसीलिए वहां पर ब्रज का कोई प्रोग्राम नहीं होता है।

केवल ब्रजमाधुरी का एक प्रोग्राम है, मेरा निवेदन है कि उसके विकास के लिए अधिक रुपया देना चाहिए।

इन्हीं बातों को आपके सामने रखते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, जो थोड़ा सा समय मिला, उसमें अपनी बात को रखते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

\*SHRI AMAR ROY PRADHAN (Cooch Behar): Mr. Deputy Speaker, Sir, the right to express one's opinion and the freedom of the press are two indispensable things for democracy. The minimum standard for measuring the extent to which democracy is functioning in a country is to see how much freedom of express is allowed in that country. The difference between dictatorship and democracy can be found out from the extent to which the opposition parties are allowed to criticise the policies and functioning of the Government the amount of publicity that is given to their criticism. If any Government is afraid of the philosophy and thinkings of the opposition, then it should not talk of democracy. Netaji Subhas Chandra Bose was of the opinion that: The history of civilization is in considerable measure the displacement of error which once held away as official truth by the beliefs and which in turn have yielded to other truths, liberty of men to search for truth is essential. Liberty of thought soon shrivels without freedom of expression and freedom of the press. But however loudly we may shout about freedom and democracy our Constitution contains no direct provision relating to the freedom of the press and freedom of reporting, which can be found in many other Constitutions of the world. Sir, in Ireland the Constitution provides that "the State shall endeavour to ensure that organs of public opinion such as the Radio, the Press, the cinema while preserving their rightful liberty of expression including criticism of Government policy, shall not be used to undermine public order or morality or the authority of the State." In Japan, Article 21 of the Constitution provides for freedom of the press and freedom of speech. In Belgium, Article 18 of the Constitution provides that there shall be no censorship on press and expression.

In German Republic, in Clause I of Article 5 their Constitution, freedom of the press and freedom of reporting are guaranteed. But in the Indian Consti-

tution nothing is explicitly provided regarding the freedom of the press. Here freedom of the press is to operate within the limit of Article 19(i) (a) and Clause (2) of Article 19. According to a judicial decision in 1950 in the 'Ramesh Thapār' case, it has been laid down that freedom of speech and expression guaranteed to all citizens by Article 19(i)(a) of the Constitution includes freedom of the press. Nothing more than this is provided in our Constitution. It is needless to mention that during emergency under the rule of the Congress how this freedom of press and freedom of reporting was mercilessly butchered by the sword of dictatorship. Therefore, our first and foremost duty is to amend the Constitution to clearly provide for the freedom of the press and publication. I agree that the hon. Minister for Information and Broadcasting is not directly responsible for the amendment of the Constitution. But as a senior Cabinet Minister he can surely impress upon the Cabinet the need for amending the Constitution in this regard.

Without suggesting that the Janata Government is following in the footsteps of the Congress Government I regret to say that the spokesmen of the Janata Government are not so much vocal today about the freedom of the press and publication, as they were a year ago. Although they talked of converting the AIR and Doordarshan into autonomous bodies, that has not yet been done. It has remained a talk only.

In the last one year, no special steps have been taken nor any legislation has been enacted for protecting the interests of the working journalists.

Now Sir, I will say a few things about the Directorate of Advertising and Visual Publicity. I am sorry to say that whatever may be the advertising policy of the Government, actually no efforts have been made to protect the small and medium newspapers.

\*The Original Speech was delivered in Bengali.

[Shri Amar Roy Pradhan]

Sir, in this very House on 14-12-1977 in reply to a question about the advertising policy of the Government it was said that a balanced and equitable placing of advertisements is aimed at. Government advertisements are not intended to be a measure of financial assistance. In pursuance of broader social objectives of Government, however, weightage or consideration will be given to:—

(a) Small and medium newspapers and periodicals;

(b) Language newspapers and periodicals;

(c) Specialised, scientific and technical journals;

(d) Papers and periodicals being published especially in backward, remote or border areas.

(e) Any other category which Government consider appropriate for special and bonafide reasons.

I was sorry to see that the Government ignored the first four categories but taking advantage of the clause (e) they have issued advertisement to whomsoever they liked to in whatever manner they liked. But all these who appealed to the DAVP for advertisements, begged of them, they have been ignored and rejected.

I quote a few instances, the Northern Review paper of West Bangal, Janamat Paper of West Bengal, the Mahakal Paper of West Bengal they applied for advertisements but they were ignored. Aligarh Mail of Paper of Uttar Pradesh also applied for advertisements but it was rejected. At the same time, some other papers of that area e.g. Nagrik Danik Prakash, Janta Yug, the Pravda Danik etc. of same standard as that of Aligarh Mail have been given advertisements. I regret to say that whatever may the Government's

policy in this regard, many papers have been ignored advertisements through the loopholes of Government policy. I will urge upon the Government to change the rules and regulations in respect of grant of advertisements e.g. it has been laid down that in case of daily newspapers its length must be 45 centimetres and should have 7 columns. In the case of medium and small papers it has been laid down that it should be of 25 centimetres and is required to carry 32 pages. Mr. Deputy Speaker, Sir, do you know who are the people who bring out these small and medium newspapers? These people collect some funds with great difficulty and publish these small papers containing those interesting news items under great handicap. They are always struggling for funds. If such stringent conditions are laid down in respect of pages and columns for these newspapers it will not be possible for them to continue publishing them. I will request the hon. Minister to go deep into the matter and try to find out how corruption is rampant in his department. Bribes are demanded for giving advertisements. Sir on 14th December, 1977, Question No. 3938 was asked in the Lok Sabha. A part of the question asked.

“the names of daily/daily evening newspapers to whom DAVP has so far not issued Government advertisements.”

In its reply it was said: “there is no daily/daily evening newspapers which has been approved for Government advertisements in accordance with the advertisement policy requirements and has not been given advertisements.”

Shri Chitta Basu M.P., himself sent a letter to the Director DAVP in respect of Aligarh Mail paper on 3rd October, 1977 i.e. long before this answer was given in the House. So you will see that a evasive reply was given to the question raised in the House and the correct information was suppressed.

Sir, I will conclude by saying a few things about the Siliguri Radio Station. This broadcasting Station was established in 1964 as a supplementary unit of the Calcutta Radio Station. Only half an hour is devoted to local programmes and the rest of the time it broadcasts programmes from the Calcutta centre or plays gramophone records. It is necessary to upgrade this Station as a self contained unit. The present transmitter is of only 20 k.w. The programmes can not be heard in different parts of North Bengal beyond 40 miles. Moreover, there are high powered radio stations nearby at Rangpur, Rajshahi and Dacca. The frequency of this Station is also very near to it very difficult for the programmes broadcast from this station on low priced radio sets. I will request the hon. Minister to provide a high powered transmitter at the Siliguri radio station of at least 200 k.w. Sir, there are advisory committees in other stations but in the Siliguri radio station, there is no advisory Committee and this station is being run in an autocratic manner. The Minister may kindly look into these.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Pradhan, I will call the next Speaker. Mr. Raghavji. I will now tell you something. We have to finish by 3.40 PM after which the Minister will reply and there are three more speakers. I would request you to take five minutes each so that everybody gets his turn.

श्री राधवजी (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सूचना और प्रसारण विभाग ने जनता सरकार आने के बाद जो कार्य किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय है। आपात काल के दौरान सब से ज्यादा अगर किसी विभाग की दुर्दशा हुई थी तो सूचना और प्रसारण विभाग की हुई थी और उस के दौरान अगर कोई सब से खराब बात हुई थी तो वह यह हुई थी कि मास-मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता

खो दी थी। स्थिति यहां तक आ गई थी कि हमारे देश में आल इंडिया रेडियो था, टेली-विजन था, सारे साधन थे, इसके बाद भी हिन्दुस्तान की जनता आल इंडिया रेडियो को सुनना पसंद नहीं करती थी। वह बी वी सी के समाचार सुनना पसंद करती थी, वायस आफ अमेरिका के समाचार सुनना पसंद करती थी लेकिन आल इंडिया रेडियो और टेलीविजन के समाचार पर किसी को भरोसा नहीं रह गया था। मुख्य कारण यह था कि एमरजेंसी का घोर दुरुपयोग केवल एक व्यक्ति की साख को उभारने के लिए पिछले 19 महीने तक होता रहा। इमरजेंसी के पूर्व भी कांग्रेस के शासन काल में आल इंडिया रेडियो और टी वी को जो साख प्राप्त होनी चाहिए थी वह प्राप्त नहीं हुई थी क्योंकि एक पार्टी विशेष के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इस प्रकार रेडियो और टी वी की विश्वसनीयता पहले से ही खोती जा रही थी। आपातकाल में तो वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सारी विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी। जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद बहुत सुन्दर काम हुआ है। मास मीडिया की प्रतिनष्ठा पुनः स्थापित हुई है तथा विश्वसनीयता पैदा हुई है। मास मीडिया ने राजनीतिक भेदभाव छोड़ कर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे अच्छा काम तो वह हुआ कि थोड़े समय के अन्दर व्हाइट पेपर लाकर सारी खराबियों को सामने प्रस्तुत किया गया तथा उनको ईमानदारी से सुधारने का प्रयास हुआ। इस कारण मास मीडिया को पुनः विश्वसनीयता प्राप्त हुई है।

किन्तु इसके साथ साथ मुझे एक शिकायत भी है और वह यह कि हम जरूरत से ज्यादा उदार हैं। कोई कारण नहीं है कि विरोध पक्ष को 51 प्रतिशत समय रेडियो पर दिया जाये। संसद तथा विधान सभाओं में जिस अनुपात में जनता पार्टी तथा विरोध पक्ष के सदस्य चुनकर आये हैं यदि उसी अनुपात में समय देने की बात हो तब तो तर्क की बात

[श्री पाषवजी]

होगी अन्यथा विरोध पक्ष को इतना समय देने में कोई औचित्य नहीं है। ज़रूरत से ज्यादा उदारता दिखाना, मैं समझता हूँ जनता ने जो लोकमत प्रदर्शित किया है उसके साथ अन्याय है तथा इस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि श्रीमती इंदिरा गांधी श्री पी के जैन की अदालत में उपस्थित होने के लिए जाती हैं तो उसकी एक न्यूजरील बन जाती है। उस न्यूजरील को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी को जितना प्रचार आल इंडिया रेडियो, टी वी और न्यूजरील में दिया जाता है उसको देख कर बड़ा आश्चर्य होता है। इसी प्रकार की अन्य बातें भी हैं जिनकी हमें शिकायत है। अभी बीच में भगवान कृष्ण को हिप्पी के रूप में टी वी पर प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार की जो बातें हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना प्रसारण विभाग के सांग एंड ड्रामा डिवीजन के द्वारा पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार में बहुत से कार्यक्रम दिये गये। व्हाइट पेपर में इन सारी बातों को प्रकाशित किया गया है। स्वयं मेरे मुकाबले में श्री गुफरान आजम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके प्रचार में 80 से अधिक कार्यक्रम प्रदर्शित किये गये। इसी प्रकार से श्री विद्याचर शुक्ल तथा श्री संजय गांधी की कांस्टीटुएन्सी में इस विभाग द्वारा जो कार्यक्रम दिये गये हैं उन पर हजारों रुपया खर्च किया गया। इसके बावजूद उनके खिलाफ वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी दिया था कि वसूली कार्यवाही क्यों नहीं की गई। चुनाव कार्यक्रमां में उपयोग करने के लिए और प्रचार करने के लिए सांग एण्ड ड्रामा डिवाजन ने जितना पैसा लगाया है उसका आंकलन किया जाना चाहिए और उसको

वसूल करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री संजय गांधी, श्री विद्याचरण शुक्ल आदि के चुनाव क्षेत्रों में इस डिवीजन के द्वारा जो घोर दुरुपयोग हुआ है उसका आंकलन करके उस पैसे की वसूली की जानी चाहिए। मुझे दुख है कि विभाग की ओर से मुझे बताया गया कि ऐसे कार्यक्रम ज़रूर दिये गये हैं चुनाव के दौरान, व्हाइट पेपर में भी इसको बताया गया है लेकिन उस पैसे की वसूली की जाएगी—ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इस प्रकार की उदारता की नीति को त्यागना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी जो अब तक एक दल की अध्यक्ष हैं, वे जब दल की अध्यक्ष नहीं भी थीं उस समय भी उनको रेडियो, टी वी और न्यूजरील में ज़रूरत से ज्यादा प्रचार दिया जाता था। यह जो नीति है इसको त्यागना पड़ेगा। जैसी और माननीय सदस्यों ने भी शंका व्यक्त की है, इस विभाग में श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोग बैठे हुए हैं जोकि गलत ढंग से श्रीमती इन्दिरा गांधी को उभार रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। इसके साथ ही व्हाइट पेपर में जो बातें प्रकाशित हुई हैं, एक एक बात का आंकलन किया जाना चाहिए और उसके बाद समुचित कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Madam Chairman, I have been generously allotted 600 seconds for various Ministries, and I propose to take 300 seconds for the Information and Broadcasting Ministry. Therefore, if I speak in the Upanishadic *sutra* bhasha and not elaborate things, I think the Minister will pardon me.

Madam Chairman, I feel that Mr. Advani and the Janata Government must really and sincerely strive for a progressive elimination and ultimate

abolition of the Ministry of Information and Broadcasting. In no democratic country does one find a separate Ministry of Information and Broadcasting, because it is only when a Ministry of Information and Broadcasting is set up, separately, can it be used in the manner it was done by Shrimati Indira Gandhi i.e., in a most shameless manner. I cannot say that the Janata Government will do the same thing, but if they do have the same powers, I am not sure whether they will not do it. (*Interruptions*) In a democracy, the Ministry of Information and Broadcasting has a very minimal role. Ministries like those of External Affairs, Health and Planning may have their individual, departmental publicity agencies for telling people what a particular department is doing. But if a democracy has a separate Ministry of Information and Broadcasting, then to use it for party purposes is a temptation which any party Government will find difficult to resist.

There was one Minister, Mr. Mehar Chand Khanna who was in charge of refugee rehabilitation. There was also one Mr. Ajit Prasad Jain, I believe before him. These Ministers were saying that they would be the happiest individuals if that Ministry was abolished as early as possible, because it meant that there was no problem to solve. Similarly, Mr. Advani might one day say: 'I will be happy if the I&B Ministry is abolished.' He may be a Minister for something else. A separate charge for Information and Broadcasting is often used, by whichever party is in power, as an agency for propaganda of the government of the day. For such governments to abuse the facilities available to them, would make nonsense of democracy. Therefore, I am making these remarks.

Freedom, quality and responsibility of mass media are very vital. It is not as if that freedom, quality and responsibility of mass media can originate only from the Establishment. It should come from the awakened, enli-

ghtened citizens, whether they are Press men, parliamentarians, academicians, intellectuals or creators of this art or that.

Freedom has been restored by this Government. I congratulate, respect and admire them for this. But let us not get away with the idea that because they have restored democracy, nothing more remains to be done. A lot more remains to be done—in terms of vigilance. If we are saying that Mrs. Indira Gandhi was responsible for abusing the facilities of this Ministry, we have every right to wonder whether the present Government is also not likely to abuse it, in terms of political interests and gains.

About AIR and TV, I hope the House will have the opportunity of discussing the Verghese Committee report separately. But I hope Government can and will go ahead with the problem of autonomy as early as possible, they can introduce the bill quickly. Let this Parliament pass it as early as possible, although I feel that the Verghese Committee has suggested a top-heavy administration to the proposed Trust.

I hope the TV station at Ahmedabad will be set up soon. Ahmedabad is a major city, but it has been left out, whereas minor cities have these stations. It has been said that the Planning Commission does not give money. But I hope the Minister will persuade all concerned for agreeing to have TV at Ahmedabad.

Lastly, about radio, 50 years of broadcasting has recently been celebrated. Can we honestly say after 50 years of broadcasting that we have really added to the quality and content of our radio programmes? I do not want to run down the radio-programmes; many of them are good. Still, I do not see the freshness of freedom, freshness of dissent, free discussion, in the various programmes. The same conformist routine type of programmes are going on. Then, in order to



[Prof. P. G. Mavalankar]

prove impartiality, they sometimes bring in people of different sorts, but not necessarily people who will contribute intelligently to the programme. Take the case of Mrs. Indira Gandhi. In order to prove their impartiality, both the radio and television give her the best of both the words. She had all the publicity when she was the Prime Minister. Now she has all the publicity when she is not in power. Why are you haunted and harassed by her past deeds? Forget her for the time being and think of the new ideas and programmes of democracy and freedom.

Coming to "Samachar" I have no time to go into details. If you have broken "Samachar", please see to it that "Hindustan Samachar", "Samachar Bharati" and other agencies get proper share, and that no doubt or suspicion is created that the Minister is particularly interested in this or that group or this or that political wing of a party. Therefore, let that charge not be levelled against him.

I welcome the re-establishment of the Press Council. I hope it will go into the problems of the newspapers. I do not know whether that Bill when introduced will be referred to the Select Committee. It is a good thing that it is being re-established.

Similarly, I welcome the appointment of the Press Commission.

On Films Division I do not want to say much except that the affairs of the Film Institute in Poona are not happy. I wish him to go into the details of that.

Coming to the Publications Division, the Collected Works of Mahatma Gandhi has been good. Similarly, national biographies have been printed. We appreciate it. But I want Shri Advani to see that the quality of printing and get up of Government publications are improved. I do not understand why the Government publications should be necessarily bad, merely,

because they are Government publications, like wrong printing, loose binding, poor get up etc. This should be attended to.

Lastly, I would give him a suggestion. In the pre-independence India we had one Bengali who published a series called India Annual Register. Every year two volumes of that series were published, which gave a chronology of events. He ultimately ended up with a deficit of Rs. 10,000 and he stopped it. After independence we have no such annual register, which chronologically gives all the facts and figures, something like the Year Book, but not India, which is very inadequate. My request and suggestions is that you go ahead with it. The Institute of Mass Communications may help you independently in terms of research and reference in that regard.

श्री वी० पी० मण्डल (मधेपुरा):

सभापति महोदय, मैं कम समय में ही अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, वैसे तो जनता पार्टी भी धन्यवाद के काबिल है कि हमने अपने यहां प्रेस की आजादी को, न्यूज मीडिया की आजादी को वापस दिलाया है। एमर्जेन्सी के समय में हमें मालूम होता था कि सारा हिन्दुस्तान जेल में हैं। सिर्फ एक तरफ के ही समाचार सुनने को मिलते थे। अब मासमीडिया की आजादी से मालूम होता है कि हम जेल खाने से बाहर आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एमर्जेन्सी के समय में हमारे न्यूज पेपर्स ने जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप के सामने सरेण्डर किया उसकी मिसाल दुनिया के सामने नहीं है। मुझे आज भी याद है, अंग्रेजों के जमाने में जब वर्नाकुलर प्रेस रेस्ट्रिक्शंस लगायी गयीं तो कलकत्ता से बंगाली में जो अमृतबाजार पत्रिका अखबार निकला करता था, उसने अपने आप को ओवर नाइट अंग्रेजी में बदल डाला। इसी

तरह से पटना से सर्चलाइट अखबार निकला करता था। वह अंग्रेजों के जमाने में और चीजें तो छापता था लेकिन एडिटोरिएल नहीं निकाला करता था। लेकिन इस एमर्जेन्सी के समय में, सिवाय एक दो अखबारों को छोड़ कर सभी न्यूजपेपर्स सरेण्डर कर गये। ऐसा मालूम होता था कि सभी मृत हो गये हैं। सभापति महोदय, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को छापने का अधिकार भी उन लोगों को नहीं रह गया था। हम लोगों ने इसकी भी आजादी प्रेस को दी है। आप देखें कि कई मामलें यहां सदस्य उठाते उठाते परेशान रहते हैं, उनके कहते कहते परेशान हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते कहते परेशान हो जाते हैं लेकिन शायद अब सदस्यों का नाम भी नहीं निकलता है। किसी मੈम्बर ने एक प्वाइंट आफ ऑर्डर रोज कर दिया, एक बार लड़ाई कर ली, मारपीट के लिये तैयार हो गया तो सारा फ़ौज होता है। आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखें जो दुनिया में एक आथोरिटेटिव बुक समझी जाती है। इसके पेज 146 पर आप देखें कि किसी मामले को रोज करना भी ब्रीच आफ प्रिविलेज की परिभाषा में आता है। इसके अलावा किसी मੈम्बर के कंडक्ट पर रिमार्क पास करना यह भी ब्रीच है। स्पीकर पर रिफ्लैक्शन करना यह भी है। इस वीक में जो टी० वी पर वीक इन पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर रहा था उसको सुन कर मैं हैरान रह गया। हिन्दी की जो रिपोर्टिंग थी कि स्पीकर ने प्रोसीडिंग्स को रिकार्ड करने से मना कर दिया इस पर बहुत सी नुक्ताचीनी की गई थी। हेय दृष्टि से कमेंट किया गया था स्पीकर की रूनिंग को। मालूम होता है कि ये लोग अपने को बहुत ज्यादा समझते हैं। किसी मੈम्बर की बात को गलत रिपोर्ट करना यह भी ब्रीच है। मैं समझता था कि हमारा कोई नाम नहीं लेता है तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जब हिन्दी के बारे में यहां पर चर्चा हो रही थी तो मेरे प्रीवियस स्पीकर भावलंकर साहब जो हिन्दी पर बोले थे उनका

तीन बार नाम लिया गया था। एक कास्ट रेजीमेंट वाली बात मैंने यहां उठाई। उस वक्त यहां श्री जगजीवन राम जी नहीं थे और कहा गया कि उन्होंने रिप्लाइ की। फाल्स रिपोर्टिंग करना वह भी अग्रस्ट पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है। उस का चरण सिंह जी ने रिप्लाइ किया था एक और बहुत नुक्ताचीनी उन्होंने की है। साठे साहब की स्पीच की जो रिपोर्टिंग कर रहा था उसने वीक इन पार्लियामेंट में जिस तरह ने नुक्ताचीनी की वह अच्छी बात नहीं थी। हम लोग आपस में भले ही लड़ाई करें, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर यह कहना चाहेंगे कि वह नुक्ताचीनी ठीक नहीं थी। भले ही टी वी में, रेडियो में लॉर्ड आदमी बैठे हों लेकिन मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का जो पन्ना मैंने कोट किया है इसको वे स्टेडी करें, अपनी रिसर्चिबिलिटी को समझें इसको जाने कि उनकी लिमिटेड शब्द क्या हैं। किसी मੈम्बर का नाम चार चार बार लेना और किसी का विलकुल न लेना और यह मात्र कह देना कि जनता पार्टी के एक सदस्य ने कहा, फलों ने कहा इसका क्या मतलब। क्या मैरिट को जज करने वाले वे हैं। किसी को ओवर रेट, किसी को अंडर रेट ये करेंगे? आप इनको जरा करेक्ट करें। आजादी दी बहुत अच्छा किया है। लेकिन करेक्ट तो कीजिये।

हम आपको अपराइट जैटलमैन समझते हैं कल्चर के हिसाब से तथा दूसरे हिसाब से। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है इसको देख कर कि आपने फिल्म में किसिंग को कैसे एलाउ कर दिया है। मैंने पोलिश (Poland) को एक फिल्म देखी थी। उस में नायिका के बदन के प्राइवेट पार्ट को छोड़ कर जिस को किताब से ढक दिया गया था बाकी सब दिखाया गया था। इस तरह की चीज को आप कैसे एलाउ करते हैं और कैसे आपने किसिंग को एलाउ कर दिया है। यह हमारी संस्कृति नहीं है। कोई भी सदस्य और अगर आप देश में राय ले लें तो कोई भी आपको इसके हक में नहीं मिलेगा

[श्री श्री० पी० मण्डल]

कि सिनेमा में किस (चुम्बन) की छूट हो। इस चीज को आप बन्द करें।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : बच्चे को किस भी करने की इजाजत न हो।

श्री बी० पी० मंडल : हमारे यहाँ बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको किस नहीं किया जाता है। दिल्ली की बात में नहीं जानता।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि टेलीविजन सेन्टर हर एक प्रान्त की कैपिटल में जरूर होना चाहिये। जैसे पटना में नहीं है, भुवनेश्वर में नहीं और बहुत जगह नहीं हैं। इसलिये टी० वी सेन्टर देश की प्रत्येक स्टेट कैपिटल में आप जरूर करें।

मैं अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन प्रैस आजादी का यह मतलब नहीं है कि वह दूसरे की आजादी को ट्रांसग्रेस करें। हम लोगों ने उनको आजाद कराया परन्तु अभी भी उनका वही तरीका है जो इन्दिरा जी के जमाने में था “भय बिनु होत न प्रीत” इमरजैन्सी के जमाने में उनको चूक भय था इसलिये उनको अभी भी उनसे प्रीत है, और हमने उनको भय मुक्त करा दिया तो हमसे प्रीत नहीं है। यह बात बहुत गलत है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : सभापति जी, मैं बहुत आभारी हूँ सभी सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। सब का मतलब है जिन्होंने मेरे मंत्रालय के कार्य की प्रशंसा की है और जिन्होंने उसकी आलोचना की है। मैं जब गत वर्ष का सिंहावलोकन करता हूँ तो मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने मीडिया के क्षेत्र में जो आश्वासन और विश्वास जनता को दिया था उसको हमने पूरा किया है, इसका जिक्र बहुत सदस्यों ने किया है, सरकारी

दल के सदस्यों ने किया उसका तो संतोष मुझे है ही मुझे इस बात का विशेष संतोष है कि कई विपक्ष के सदस्यों ने भी इस बात की पुष्टि की, और इस बात पर बल दिया कि जनता सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मीडिया पर जो पाबन्दियाँ इमरजैन्सी के समय में लगी थीं वह समाप्त कर दी गई हैं और मीडिया को मुक्त कर दिया गया है। मैं तो अपेक्षा कांग्रेस पार्टी से भी यही करता था कि वह वहीं कहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब मिलते हैं तो मही कहते हैं। राजनीतिक मजबूरी कोई समझ पाने में मैं असमर्थ हूँ कि जो बात व्यक्तिगत रूप से वे सब लोग कहते हैं वही वे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं कहते। उनकी एक ही मजबूरी मुझे समझ में आती है कि जब से उनको पार्टी टूट गई और उनको यह दिखाई देता है कि दूसरा हिस्सा सरकार की हर एक बात को गलत बताता है और उन पर यह आरोप लगाता है कि आप अगर एक भी बात को सही कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप सरकार से मिले हुए हैं इस भय के मारे जो बात वह ईमानदारी से स्वीकार करते हैं मन में और बाहर भी निजी रूप से कहते हैं उसको सार्वजनिक रूप से कहने को तैयार नहीं हैं। मैं तो यही कहूँगा उनकी आज की जो दशा है और जो दशा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है उसमें मूल रूप से यह जो भीरुता है, कमजोरी है जिसका प्रदर्शन इस प्रकार की बहस में भी दिखाई देता है, उन्को जब तक वह त्यागेंगे नहीं आज के सार्वजनिक जीवन में उस पार्टी के लिये, उस एक ऐग्रीव के लिये कोई गुंजायश नहीं है।

माननीय उन्नीकृष्णन के भाषण का उल्लेख इसलिये करता हूँ कि उसमें सारी बात ऐसी हैं जो अनेक बार यहां कही गई हैं और एक एक बात का जवाब भी दिया गया है। पिछले साल की बहस को देखें तो वही

वातें कहीं गई हैं जो इस साल कहीं गई हैं। वहबाहे बालेश्वर अग्रवाल की बात हो, चाहे आर० एस० एस० की बात हो। उसको उठाकर देखेंगे तो उसमें तथ्यों का एक कण भी नहीं है।

Not an iota of truth about it. मैंने कई बार कहा है कि हमारे मीडिया से गलती हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। गलती किस से नहीं होती? मैं पत्रकार स्वयं रहा हूँ, पत्रकारों में काम किया है। मैं जानता हूँ कि जिस प्रेशर में पत्रकार को काम करना पड़ता है, अगर उसने कोई समाचार 10 मिनट देर से दिया तो उस पर भी उसका एक्सप्लेनेशन काल किया जाता है। तो 10 मिनट में उसे सही निर्णय लेना होता है, बिबेकपूर्ण निर्णय लेना है कि किस तरह से समाचार प्रदर्शित किया जाये। यहां की संघ की कार्यवाही, विशेषकर संसद की कार्यवाही में अगर कोई त्रुटि होती है, उसमें अगर कोई मोटिव देखता है तो उसके लिये He is liable to be hauled up for breach of privilege. उसके लिए तो उसे कंटेम्प्ट आफ हाउस का अपराधी घोषित किया जाता है। उस स्थितिमें जब आकाशवाणी के हमारे संवाददाता कवरेज करने हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई गलती होगी तो मैं उनको पुल अप करूंगा ठीक करूंगा, लेकिन जिस प्रकार की स्वीपिंग एलीगेंस होती है खास तौर पर संसदीय रिपोर्टिंग के बारे में आकाशवाणी के खिलाफ, उनको मैं स्वीकार करने की तैयार नहीं हूँ। मैं कुछ तथ्यों का उदाहरण दूंगा। जैसे कल श्री उन्नीकुण्णन जी ने उल्लेख किया था, कुछ तथ्य बताये थे, मैं कुछ तथ्यों की जानकारी तो कर रहा हूँ।

यहां पर एक परम्परा रही है कि अगर दोनों हाउस में वाक-आउट हो तो वाक-आउट माधारणतया रिपोर्ट होता है और जैसी कि अभी मंडल जी ने शिकायत की कि अगर कोई अच्छा भाषण करता है तो रिपोर्ट नहीं होता है। अगर कोई कहा मुनी हो जाये, कोई एपीसोड हो जाये, कोई वाक-आउट हो जाये तो उसकी जरूर रिपोर्टिंग होती है।

यह जिम्मेदारी एक प्रकार से मुद्दे की जिम्मेदारी है और केवल संसद की ही नहीं, बाहर की भी जिम्मेदारी है, केवल आकाशवाणी

की ही नहीं, अखबारों की भी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को जो पत्रकार पत्रकारिता में रहा है, वह उसे अच्छी तरह से जानता है।

If a dog bites a man, it is not a news; but if the man bites the dog, then it becomes a news.

यह एक उक्ति है और केवल इस बात को प्रखर और उजागर करती है कि अनेक बार अच्छे व्याख्यान, अच्छे भाषण, तर्कपूर्ण वक्तव्य का कोई नोटिस नहीं, लेकिन बिना तर्क की कोई वाहियात बात हो जाये, कोई इंसीडेंट हो जाये, एपीसोड हो जाये तो वह जायेगा। अलबत्ता वाकआउट जो है, वह एक प्रकार से Accepted Parliamentary system of protest.

है। उसमें कोई आपत्ति नहीं। जब उन्होंने कहा कि यहां पर कोई हरिजनों की चर्चा हुई और उसके विरोध में विपक्ष के लोगों ने वाकआउट किया और आकाशवाणी ने उसका वायकाट किया, तो मैंने पता लगाने की कोशिश की। उस दिन के अखबार भी देखे। अखबारों में भी जो रिपोर्ट थी वह यह थी। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन में कोई रिपोर्ट नहीं है, एक अखबार टाइम्स आफ इंडिया ने यह रिपोर्ट दी कि उसके बाद कांग्रेस के लोग कांग्रेस (आई) के लोग उठकर चले गये, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्होंने वाकआउट किया या नहीं किया। यह टाइम्स आफ इंडिया ने लिखा है It was reported that it was not clear whether they had staged a walk out or not.

ऐसी स्थिति में आकाशवाणी का जो प्रतिनिधि है, वह यह समझे कि मैं अगर वाक-आउट लिखूंगा तो शायद इसी पर प्रिविलेज हो जाये और मैं इस बात को नहीं लिखूंगा तो वह ओमीशन इतना प्रिविलेज नहीं। मैं खाली उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार की समस्या और बातें उनके सामने आती हैं और उनको निर्णय करना पड़ता है।

मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं यह नहीं कहता कि सब संवाददाता ठीक है, कुछ प्रैजुडिस भी होंगे, फेवरेटिज्म भी होगा हमारे कई सम्बन्ध भी होते हैं, जिसके कारण

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अगर ध्यान दिलाया गया कि यह बात हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग के बारे में मैं कह सकता हूँ कि किसी प्रकार के फैवरेटिज्म या प्रैजुडिस के आधार पर कोई निर्णय न होगा। प्रामाणिकता से मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा ध्यान दिलाया गया, जब भी बोला जायेगा, मैं निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करूंगा।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Please tell us. I had a very specific question. You had this commentry last week in parliament in Hindi and English. On 31st March, afternoon, we had a private Members' Resolution of Mr. Somasundaram where, as the records of the House would show, a large majority of the Members who took part in the discussion that day demanded continuance of English as a link language except those two. Now, commenting on this, what did you say on 1st April in the feature 'Last Week in Parliament' in Hindi? Please give me a specific answer.

श्री बी० पी० मण्डल : जो मेम्बर यहां बोलें, कम से कम उन के नाम तो लेने चाहिए। यह तो बताना चाहिए कि फलां पार्टी के फलां मेम्बर ने यह कहा। हम देखते हैं कि जो थोड़ा बोलता है, उसका सात मर्तवा नाम लिया जाता है।

श्री राम विलास पासवान : उस दिन तो रेडियो ने माननीय सदस्य के पक्ष में इतनी दूर तक कहा कि अंग्रेजी का समर्थन करने वालों ने कहा कि अगर अंग्रेजी नहीं चलेगी, तो देश टूट जायेगा। हम लोगों को इस पर आपत्ति है। यह बात नहीं कहनी चाहिए थी।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: It is to compensate this that you do it the next day.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अगर किसी सदस्य ने कहा है कि अगर हिन्दी या अंग्रेजी नहीं चलेगी, तो देश टूट जायेगा, और उन्होंने इस को रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है।

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि रेडियो से एकतरफा समाचार दिये जाते हैं, इस लिए मैंने यह बात कही है।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : माननीय सदस्य की आपत्ति यह है कि रेडियो से कहा गया कि सदस्यों की मैजोरिटी ने हिन्दी का समर्थन किया और अंग्रेजी का विरोध किया।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: It is a factual error.

SHRI L. K. ADVANI: If it is a factual error, it is wrong.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Our views are being conveyed wrongly to the people of the Hindi region.

SHRI L. K. ADVANI: In this particular case, I may point out that any correspondent of the AIR is not to be blamed. The practice in respect of 'Today in Parliament' or 'Sansad Sameeksha' is that some or the other journalist is invited to write the script for the day and to broadcast it. It is being looked into at the moment. All that I can say is that, so far as intentions are concerned, we should have been more concerned with the fact whether there was any direction from the Government in this regard.

इस बात की बहुत चर्चा हुई है कि 51 परसेंट समय आपोजीशन को मिला और 49 परसेंट सरकारी पार्टी को मिला। उधर से यह आरोप लगाया कि 51 परसेंट का कोई मतलब नहीं है, यह तो हमारे खिलाफ प्रचार होता है। उधर से यह कहा गया कि यह बात कहां तक उचित है कि सरकारी पार्टी को कम समय मिले, जबकि हमारी सदस्य-संख्या अधिक है और उन की संख्या कम है।

इस बारे में मुझे एक ही निवेदन करना है कि सरकार की तरफ से आज तक यह हिदायत कभी नहीं दी गई है कि आपको इतना परसेंटेज सरकार को देना चाहिए और इतना परसेंट विरोधी पक्ष को देना चाहिए, या आप को मिसेज़ गांधी की कवरेज करनी है या नहीं करनी है। उन्हें बार-बार यह हिदायत दी गई है कि डिस्टाइड आन दि

बेसिस आफ न्यूजवर्दीनस, आप इस आधार पर फैसला करें कि आप किस को ठीक समाचार समझते हैं, किस को समाचार के योग्य समझते हैं। मैं ने उन्हें कहा है कि उन की फ्रीडम टु परफार्म एट दि डैस्क में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ; अगर कहीं गलती होगी, तो मैं बताऊंगा कि यह गलती है, अगर कहीं मुझे लगेगा कि आप ने जान-बूझ कर किया है—कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ; यहां पर माननीय सदस्यों ने उसके उदाहरण दिये हैं—, तो — मैं ने उन से कहा है :

'If there is any deliberate intention in projecting things in this light or that light, in this favour or in that favour, you will be hauled up.'

यहां पर कहा गया कि आर्म ट्विस्टिंग होता है। माननीय सदस्य, श्री कंवर लाल गुप्त, ने कहा कि वह मुझे तीस साल से जानते हैं :

he is incapable of arm-twisting. He was replying to them. But I do not accept that as a compliment.

मैं मानता हूँ कि अगर कहीं कोई गलत बात होती है, और सरकार में बैठे हुए लोग उस के खिलाफ स्ट्रिक्ट और स्टर्न कार्यवाही नहीं करते हैं, तो फिर वे सरकार में काहेके लिए हैं।

मैं ने देखा है कि विरोधी पक्ष के द्वारा कुछ बातों के लिए जब सरकार की आलोचना की जाती है, तो यह मान कर की जाती है कि समाचार और सरकार एक हैं, और समाचार का दोष हम पर मढ़ दिया जाता है। कुछ हमारे लोगों ने भी ऐसा ही किया है। उदाहरण के लिए कहा गया है कि जब श्रीमती गांधी रिहा हुई थी, तो समाचार में मिठाई वांटी गई थी। मैं नहीं जानता हूँ। अगर यह बात हमारे यहां होती, तो मैं उर्म की तरफ ध्यान देता, क्योंकि वह एक पोलिटिकल एक्सप्रेशन होता। लेकिन जहां तक सरकारी माध्यमों, गवर्नमेंटल मीडिया, का सवाल है, आई एम रेसपोसिबल

फार इट। मैं बताना चाहता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद मीडिया के क्षेत्र में जो पहला प्रमुख काम किया गया था, सिवाये प्रैस की आजादी के, वह यह था कि इमर्जेंसी के दौरान मीडिया में, और खासकर गवर्नमेंटल मीडिया में, जो भी गलत बातें हुई थी, हम ने उन को एक श्वेतपत्र के रूप में प्रकाशित किया था। वह श्वेत पत्र एक ऐसा डाकूमेंट है कि जिस डाकूमेंट के बारे में आज तक किसी ने एक अक्षर का भी प्रतिवाद नहीं किया। उस को स्वीकार किया गया है कि हां, यह बात सारी चली और शाह कमीशन में भी जितनी चर्चाएँ हुई हैं उन चर्चाओं में भी उसके आधार पर बात हुई है।

16.00 hrs.

श्री बी० पी० मंडल : स्पीकर साहब की रूलिंग पर जो 2 तारीख की रात में "वीक एंड इन पार्लियामेंट" में कमेंट आया है जिस के बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है, ऐशपर्शन और उस को लुक डाउन करके वह बहुत नीचे स्तर का कमेंट है और चौधरी चरण सिंह के स्टेटमेंट पर भी जो उन के रिमार्क्स खराब थे उस के बारे में आप क्या ऐक्शन लेना चाहते हैं ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मंडल जी का ही अलग से उस पर मोशन आया हुआ है, उस मोशन पर मैं जवाब दूंगा। सदन की कार्यवाही या सदन के प्रति या सदन के अध्यक्ष के प्रति किसी भी प्रकार की अवमानना होगी तो उस को कभी क्षमा नहीं किया जायगा।

मैं यह उल्लेख कर रहा था कि श्वेत पत्र जो प्रकाशित हुआ उस का फालो अप ऐक्शन होना जरूरी है। मैं इसके लिए कांशस हूँ और जिस समय श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ उस के तुरन्त वाद हम ने उस के ऊपर फालो अप ऐक्शन इनीशिएट किया था अपने मंत्रालय

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

में लेकिन उसी समय से शाह कमीशन की कार्यवाही शुरू हो गई और शाह कमीशन की ओर से हम को निर्देश हुआ कि आप श्वेत पत्र हमारे पास भेजिए। इतना ही नहीं, बल्कि श्वेत पत्र के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट थे और जितनी सारी फाइल्स थीं उन को भेजने का भी निर्देश हुआ। केवल उतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया कि जो चीजें आपने एन्वयारी के समय देखीं थीं लेकिन जिन का उल्लेख श्वेत पत्र में न हो, मगर एन्वयूज आफ मीडिया दूढ़ने के लिए जिन-जिन फाइलों को आप ने देखा है उन को भी हमारे पास भेजिए। तो वह सारी की सारी फाइलें वहां चली गईं और अपने यहां जो काम हम ने इनीशिएट किया था वह कुछ रुक गया है। मैं समझता हूँ कि अब आयोग का काम समाप्त होने के बाद और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद और अच्छी तरह से कार्यवाही हो सकेगी और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एमर्जेंसी के दौरान जो गलत बातें हुई उस के लिए जो दोषी थे, अपराधी थे उन के खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी। इस संबंध में यह शिकायत की जाती है जो लक्ष्मण साहब ने अपने चार पांच मिनट बोलने के बीच में की कि

"We seem to be obsessed with what happened during the Emergency".

यानी हमारे ऊपर एमर्जेंसी के दौरान जो कुछ हुआ वह छाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति इस देश में अगर रहता है, कोई भी लोकतंत्रीय व्यक्ति इस देश में रहता है और लोकतंत्र के मूल्यों में निष्ठा रखता है तो वह 19 महीने की एमर्जेंसी को कभी भुला नहीं सकता और उस को याद कर के हम को आगे का भविष्य अपना बनाना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि उधर से भी जब आलोचना होती है कई

वार कि आप भी वही बातें कर रहे हैं जो एमर्जेंसी में होती थीं तो मैं दिल में संतोष करता हूँ कि कम से कम उन बातों को वे गलत तो कहते हैं। यदा कदा कह देते हैं कि आप भी वही बातें कर रहे हैं।

SHRI K. LAKKAPPA: What has happened in Andhra? What is happening in Delhi? Do you want this looting and communal riots and crimes to go on in the country?

MR. SPEAKER: No please. He has not yielded.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : आपकी स्थिति के दौरान इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री की एक बेसिक नीति रहेगी कि इस एमर्जेंसी के दौरान जिस प्रकार से मीडिया का दुरुपयोग किया गया, सरकारी मीडिया का और गैरसरकारी मीडिया का, आने वाली संततियां वैसा दुरुपयोग कभी न देखें। केवल हमारी ही सरकार नहीं कोई भी सरकार कभी भी वैसा न कर सके। इसीलिए हम कुछ परम्पराएं बना रहे हैं। आखिर तो कोई कानून नहीं है कि जिस के अनुसार हमें वाध्य होना पड़े विपक्षी दलों को अवसर देने के लिए। इस के लिए कोई कानून नहीं है और इस से पहले जो विपक्षी दल में बैठे थे उन के 30 साल तक कहने के बाद भी उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने आते ही शुरू किया। पहले दिन ही शुरू किया। जिस दिन प्रधान मंत्री बोले उस के अगले दिन नेता विरोधी दल बोले। उस के बाद जो असेम्बली के चुनाव हुए उस चुनाव में सब दलों को अवसर दिया गया। एक साल पूरा हुआ। उस के बाद प्रधान मंत्री बोले और फिर नेता विरोधी दल को बुलाया गया। मैंने रेडियो को कहा है कि जून के महीने में कई राज्यों में एक साल सरकार का पूरा होगा, उन राज्यों में जहां जून 1977 में चुनाव हुए थे, मैंने उन को कहा है कि आप वहां के मुख्य मंत्रियों से निवेदन करें चाहे वे किसी भी पार्टी के मुख्य मंत्री हों, वहां के विरोधी दल के नेता, एक साल

समाप्त होने के बाद, इस वर्ष का सिंहावलोकन करके अपनी बात आकर के कहें। रेडियो केवल केन्द्रीय सरकार का नहीं है, रेडियो राज्य सरकारों का भी नहीं है। कुछ राज्य सरकारों की ओर से यह बात खड़ी की जाती है, यह बात कही जाती है कि रेडियो को राज्य सरकार के सुपुर्द करना चाहिए, इसको स्टेट सब्जेक्ट बनाना चाहिए लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमारी सरकार मानती है कि शुरू में संविधान सभा ने रेडियो ब्राडकास्टिंग को जो बहुत सोच विचार के बाद सेन्ट्रल सब्जेक्ट बनाया था वह सेन्ट्रल सब्जेक्ट ही रहना चाहिए। मेरे साथी जो कभी-कभी कहते हैं कि इसको स्टेट्स के सुपुर्द कर दो उनसे मैं कहता हूँ कि हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को ही बीच से निकाल रहे हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेन्ट को बीच में कहाँ से लायेंगे? ब्राडकास्टिंग को आटोनामस करने का हमारा फ़ॉसेप्ट है, हमारा कमिटमेंट है। यह कोई स्लोगन नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक साल हो गया, अभी तक आटोनामस नहीं हुआ तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में सरकार ने कभी भी रंचमात्र भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जिस दिन से हम सरकार में आये हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। वर्गीज कमिटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। मुझे खुशी है कि अधिकांश सदस्यों ने जिन्होंने भी वर्गीज कमिटी का उल्लेख किया, उन्होंने वर्गीज कमिटी की मोटी सिफारिशों का स्वागत किया है। उनके कुछ रिजर्वेशन्स हो सकते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि सम्भव होगा तो इसी सत्र में संसद में वर्गीज कमिटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने का कुछ समय मिल जायेगा। हम यहां उस पर चर्चा करेंगे। अभी उस पर बाहर चर्चा हो रही है। उसके बाद सरकार उस पर अपना निर्णय करेगी। लेकिन सरकार केवल डिटेल्स के बारे में निर्णय करेगी। जहां तक मूल सवाल है उस पर निर्णय नहीं करना है

क्योंकि अगर आपने टर्म्स ऑफ रेफ़रेन्स को देखा होगा तो उसमें हमने यह नहीं कहा है कि आटोनामी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमने कहा है कि हम आटोनामी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसको करना चाहते हैं लेकिन आप बतायें कि कैसे करना चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

**श्री ब्रसंत साठे :** आटोनामी के नाम पर कैप्टेलिस्ट कामर्शियल आर्गनाइजेशन बन जायेगा। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** माननीय सदस्यों ने जो यह बात कही वह बिल्कुल सही है कि सेंसरशिप हट जाने से प्रेस आजाद नहीं हो जात। सेंसरशिप तो अगले दिन ही हटा दी गई थी। उसके बाद जितने कानून थे उनको निरस्त किया गया। प्रिवेंशन ऑफ़ प्रेस आब्जेक्शनेबल मेटर्स ऐक्ट और फ़ीरोज़ गांधी ऐक्ट रीजल किया गया प्रैस कौंसिल बिल रिपील किया गया। यह सारे कानून खत्म कर दिए गए और जिन कानूनों को रिवाइव करना था उनको रिवाइव कर दिया गया। फिर जिन अखबारों को डिस्-एडवर्टीजमेंट के लिहाज से हटा दिया गया था उनको हम वापस ले आये। मैंने व्हाइट पेपर में यह बात कही थी, उसको मैं कोट करता हूँ :

“DAVP became a vehicle of political patronage”

पोलिटिकल पैट्रनेज ही नहीं, आर्म ट्विस्टिंग भी डी ए वी पी के एडवर्टीजमेन्ट के द्वारा होती थी। साठे साहब ने बड़ी सूझ-बूझ के साथ एक उदाहरण निकाला, मैं डूढ़ता रहा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, शायद हमारे समर्थन के लोग अधिक आते हैं जो आकर कहते हैं कि हमने इतना सफर किया है इमर्जेंसी में, आज तो कम से कम हमको फायदा मिलना चाहिए। पहले भी हमको एडवर्टीजमेन्ट नहीं मिलते थे और आज भी नहीं मिल रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहता



[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

हूँ, आप यह बतायें कि आपका सर्कुलेशन क्या है, वे सर्कुलेशन बताते हैं, मैं कहता हूँ आप यह बतायें कि आप से कम सर्कुलेशन वाले अखबार को एडवर्टीजमेंट मिलता है क्या ? नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता । आप ने जो कहा है, उस के बारे में बताता हूँ । आप ने फीर्गर्स कोट किये । होता क्या है कि एक पेपर में कोई खबर चली जाती है, तो वह फैल जाती है और फिर प्रचार होता है । हमारे नहाटा जी ने भी कहा कि एक फीर्लिंग फैलती है चाहे वह सही नहीं है और चाहे तथ्यों पर आधारित नहीं है लेकिन एक फीर्लिंग है कि हम सटल रूप से मीडिया को कन्ट्रोल कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि पत्रकारों में इस तरह की फीर्लिंग है सटल रूप में । मैं अनइक्विवोकली और केटेगोरीकली यह कहना चाहता हूँ ।

This Government does not believe in any control of the Press, neither patent nor latent and neither subtle nor crude.

मैं 'लोकमत' पर आ रहा हूँ ।

श्री बसंत साठे : बताइए ।

श्री सौगत राय (वैरकपुर) : थोड़ा बहत करिये ।

SHRI L. K. ADVANI: I sometimes feel that there are people—I am referring to Mr. Sougata Roy—who are perhaps incapable of even conceiving that if a person or government has power, why will it not use it? They are incapable of thinking...

AN HON. MEMBER: Why should they not misuse it?

SHRI L. K. ADVANI: So far as the advertisement policy is concerned, I am not even going to use it...

श्री जी० एम० बनतवाला : कालीकट का जो 'चन्द्रिका' पेपर है, उस को एडवर्टाइजमेंट देना बन्द कर दिया गया है ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : यहां पर इतने सदस्य बैठे हैं और मैं यह कह सकता हूँ कि जहां तक एडवर्टाइजमेंट देने का सवाल है ?

श्री० जी० एम० बनतवाला : उस अखबार को एडवर्टाइजमेंट देना क्यों बन्द कर दिया गया । दूसरी तरफ जो मार्क्सिस्ट पार्टी का आर्गन है, उस को एडवर्टाइजमेंट दिया गया । इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मार्क्सिस्ट पार्टी के आर्गन का सर्कुलेशन आप से ज्यादा होगा ।

श्री जी० एस० बनतवाला : ज्यादा नहीं है । हम को अभी तक एडवर्टाइजमेंट मिलता था । 25 हजार पर डे का इस पेपर का सर्कुलेशन है । वह मुस्लिम लीग की बात करता है, इसलिए उस को एडवर्टाइजमेंट देना बन्द कर दिया गया ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैं इस को बार-बार दोहराना चाहूंगा कि जो नई एडवर्टाइजमेंट की पालीसी है, उस में राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री जी० एम० बनतवाला : डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है । 'चन्द्रिका' को एडवर्टाइजमेंट देना क्यों बन्द किया गया ? इसलिए बन्द किया गया कि वह मुस्लिम लीग की बात करता है ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : यू०पी० एस० सी० के एडवर्टाइजमेंट देने का जिफ्र साठे जी ने किया । उन्होंने लोकमत का उदाहरण दिया ।

SHRI G. M. BANATWALLA: On a point of order, Sir. The hon. Minister is misleading the House. That part of his speech where he is misleading

the House should be expunged because I know it for a fact that *Chandrika*, a Muslim League paper has been refused advertisements.

MR. SPEAKER: Mr. Banatwalla, I have no material before me.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: What he says regarding *Chandrika*—will you look into it? He has made a specific allegation.

SHRI L. K. ADVANI: If any specific case is brought to my notice...

SHRI G. M. BANATWALLA: I am mentioning it.

SHRI L. K. ADVANI: I will not merely look into it..

SHRI G. M. BANATWALLA: I am mentioning a specific case before you.

MR. SPEAKER: He will look into it.

SHRI L. K. ADVANI: I will not only look into it but I will see to it that if there is any discrimination made, I will remove it.

Then, a case was mentioned by my friend, Mr. Sathe and he referred to *Lokmat*...

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Why do you call him as your friend?

SHRI L. K. ADVANI: All Members of the House are friends and particularly, those who are critical....

SHRI VASANT SATHE: Mr. Patnaik, you are a foe.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : साठे जी ने लोकमत का उल्लेख किया और कहा कि उस को यू० पी० एस्० सी० का एडवर्टाइजमेंट देना बन्द कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वह सर्कुलर उस के पास उस दिन आया जब उस ने श्रीमती इन्दिरा गांधी

के लिए कुछ लिखा। मैं समझता हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में तो शायद वह रोज लिखता होगा, तो किसी दिन भी अगर सर्कुलर आता तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिखने के बाद ही आता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इमर्जेन्सी के दौरान यू० पी० एस्० सी० के एडवर्टाइजमेंट्स, जिन से अखबारों को अच्छा रेवेन्यू मिलता है, के बारे में बहुत आर्बीट्ररी पालीसी अपनाई गई थी। एमर्जेन्सी के दौरान चण्डीगढ़ के ट्रिब्यून, गोहाटी के असम ट्रिब्यून, बम्बई के इंडियन एक्सप्रेस, वाराणसी के हिन्दी दैनिक भाज अग्रतल्ला के दैनिक सवाद, कटक के समाज, बम्बई के लोकसत्ता, एना के छकाल, मद्रास के दिनमणि जैसे वेब एस्टेब्लिश्ड पेपर्स को भी यू० पी० एस्० सी० के एडवर्टाइजमेंट देने बन्द कर दिये गये। ये अखबार हिन्दुस्तान के जाने माने अखबार हैं, इनको भी यू० पी० एस्० सी० का एडवर्टाइजमेंट बन्द कर दिया गया। जब हमारी सरकार आयी, तो मैंने डी० ए० वी० पी० और यू० पी० एस्० सी० को कहा कि आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए। आपके पास जितने फण्ड्स हैं, उन फण्ड्स को लेकर आप पोलिटिकल डिड्रेशन के आधार पर नहीं, सरकुलेशन के आधार पर यह फैसला कीजिए कि कहां किस पेपर को देना है। किस पेपर का कहां सरकुलेशन ज्यादा है, इस आधार पर मैंने फैसला करने को कहा। उन्होंने इस संदर्भ में नागपुर से लोकमत को लिया जिसका सरकुलेशन मराठी अखबारों में 21 हजार था। यह जो सरकुलेशन असेस किया जाता है, यह 1976 के आधार पर किया जाता है। उसके कोरेसपोडिंगली नागपुर से जो मराठी डेली 'तरुण भारत' उसको लिया। आप इस संदर्भ में आर० एस्० एस्० का नाम लेते हैं कि तरुण भारत आर० एस्० एस्० का है। मैं उस चीज को नहीं जानता कि वह आर० एस्० एस्० का है या किसी और का है। लेकिन चूँकि आप आर० एस्० एस्० और जनसंघ

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

का नाम ले कर उसकी वोगी बनायेंगे तो

I am not going to be frittered from the correct position, or decision.

तरुण भारत का सरकुलेशन 51,209 है इसलिए उमे देने का निर्णय किया गया। आप कहते हैं कि 26 हजार वालों को नहीं दिया और इस पर आपको आपत्ति है। मैं आपकी बताता हूँ कि युग धर्म का सरकुलेशन क्या है।

श्री बसन्त साठे : आपके आंकड़ों के मुताबिक 40 हजार लोकमत का है और 60 हजार युगधर्म का है।

SHRI L. K. ADVANI: Yug Dharam has a circulation of 26,000 and not 7,000.

श्री बसन्त साठे : आप युगधर्म का सरकुलेशन नागपुर का लीजिए, इसके साथ ही रायपुर का भी सरकुलेशन लीजिए। क्या रायपुर का सरकुलेशन आप नहीं लेंगे। आपकी गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक इस का सरकुलेशन साठ हजार है।

SHRI L. K. ADVANI: According to figures, I will certainly check up. If I am not correct, I will certainly see to it that...

श्री बसन्त साठे : लोकमत का 40 हजार से ज्यादा हुआ या नहीं ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : लोकमत जो मराठी दैनिक है, मराठी दैनिकों में उन्होंने सेलेक्ट किया है

as between Lokmat and Tarun Bharat

श्री वसन्त साठे : क्या यह आपको ठीक लगता है कि .....

SHRI L. K. ADVANI: This is the approach.

श्री वसन्त साठे : चिजसको मिल रहा था, उसको इकोनोमी के नाम पर बन्द कर दिया जाए और दूसरे हफ्ते में जिसका सरकुलेशन कम हो उसको दे दिया जाए ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : उन्होंने मान लिया It is a coverage of a particular Action लैंग्वेज के आधार पर लीजिए। मराठी पढ़ने वालों में उन्होंने देखा कि तरुण भारत का ज्यादा है, हिन्दी पढ़ने वालों में लोकमत का ज्यादा है। शायद अंग्रेजी में भी नागपुर से कोई अखबार निकलते होंगे। उनका सरकुलेशन शायद कम है। हमें कुल मिलाकर लैंग्वेज वाइज लेना होता है और उसी के आधार पर देना पड़ता है।

What I would like to assert is that in these matters there has been no question of any discretion.

MR. SPEAKER: You will not be able to satisfy everybody.

श्री बसन्त साठे : (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have mentioned that.

SHRI VASANT SATHE: Lokmat was the only paper. This is a daring case of discrimination.

I thought my good friend Shri Advani would gladly say that he will look into it and do justice instead of justifying his own stand.

SHRI L. K. ADVANI: What I have said has not been controverted except in the matter of circulation of Yug Dharam. And I said, what I have said in matters of circulation, if it is not correct, I will look into it.

श्री बसन्त साठे : यह बताइये कि हिन्दी के दो अखबार हैं—नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान—

Nav Bharat has a larger circulation than Yug Dharam. Why should

you give it to them—if you distinguish between two Hindi and two Marathi?

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** चन्द्रिका की वहाँ से मेरे पास फीगर्स आयी हैं ।

Chandrika from Calicut has a circulation of 23107. The UPSC advertisement has been stopped to the paper because of its low circulation. The Malyalam Manorma has a circulation of 3,36,000. Matri Bhumi has a circulation of 2,49,000 and Kerala Kaumdi has a circulation of 1,18,000.

These are the papers which have been given the UPSC advertisements. (Interruptions)\*\*

**MR. SPEAKER:** Mr. Sathe, you have had your say. Don't record.

**श्री जी० एम० बनतवाला :** कालीकट की चन्द्रिका जिसकी सर्कुलेशन 25,000 है उसको एडवर्टिजमेंट देना बन्द कर दिया गया है । (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** मैं इन्कार नहीं करता हूँ । आज तक बहुत सा फेवरिज्म हुआ है, मैंने उसको बन्द किया है । आज तक बहुत सी गलत बातें हुई हैं, जिनको बन्द करने की मैंने कोशिश की है ।

मैं दोहराना चाहता हूँ कि नई विज्ञापन नीति का प्रमुख आधार यह है कि राजनीतिक आधार पर पक्षपात और भेदभाव न किया जाए । साथ ही छोटे और मध्यम दर्जे के पत्रों को विज्ञापन की दर में कुछ सुविधा मिले ।

**SHRI K. LAKKAPPA:** What, Sir? It is Parliament. They have to deliver the goods.

**MR. SPEAKER:** Not to deliver goods, but to deliver speeches.

**SHRI VASANT SATHE** rose—

**SHRI L. K. ADVANI:** I am not yielding.

**MR. SPEAKER:** Please sit down, Mr. Sathe. How many times do you get up? He has not yielded. You know, in a parliamentary practice, when a person is standing, if he does not yield ground, the other person has no right. You know it so well.

That is over. You cannot cross-examine him. Don't record.

I have overruled. You have got to obey the rule. I have overruled. I am not allowing you.

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** पिछले साल भर में कुल मिलाकर डी०ए०वी०पी० द्वारा जो विज्ञापन दिए गए हैं पत्रों को उन में से स्पेस के हिसाब से 77.61 परसेंट छोटे और मध्यम दर्जे के अखबारों को दिए गए हैं । यह ठीक है कि बड़े अखबारों की सर्कुलेशन ज्यादा होने के कारण उनका रेट हायर होने के कारण एमाउंट के हिसाब से पचास-पचास हो गया है ।

Fifty per cent of the total revenue spent on advertisements by the DAVP has been given to the big papers and 50 per cent to the small and medium newspapers. But in terms of space 77.61 per cent of advertisements have been released to the small and medium newspapers and 22.39 per cent to the big newspapers. In all these matters... (Interruptions).

**MR. SPEAKER:** You cannot yield to somebody.

**SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN:** Please do not say that. How can you say this 'don't yield'?

**MR. SPEAKER:** I cannot differentiate between one Member and another Member. I am only telling the Minister that he should not make a

[Mr. Speaker]

distinction between one Member and another.

SHRI VASANT SATHE: How can you say—'don't yield'?  
(Interruptions).

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: We are not here on anybody's courtesy. We want answers to the points that we have raised here.

SHRI VASANT SATHE: You cannot stop the Minister by saying 'don't yield'. Why were these points raised by us? Instead of trying to assist us you are telling him not to yield.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अध्यक्ष जी, मैंने प्रेस का उल्लेख किया, ब्रौडकास्टिंग का उल्लेख किया और मैं सिनेमा का भी उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे मित्र नाहाटा जी ने जो सिनेमा क्षेत्र की स्थिति का वर्णन किया है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कैंपेटिक कंडीशन्स हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है और कर्माशियलिज्म बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बात का भी हमें नोटिस लेना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसे फिल्म निर्माता निकले हैं कुछ हिन्दी के क्षेत्र में भी हैं और कुछ विशेषकर कन्नड़ और मलयालम के क्षेत्र में हैं, बंगाल में तो पहले से ही रहे हैं, जिनमें एक दृष्टिकोण है, जिनमें कर्माशियलिज्म नहीं है, केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण रख कर फिल्म बनाने नहीं निकले हैं, बल्कि उसमें सोशल परपज, ऐस्थेटिक कंटेंट है। और इस ट्रेंड को एनकरेज करेंगे यह हमारी सरकार की नीति रहेगी और उसके एनकरेजमेंट के लिए, दक्षिण की बात हुई और शिकायत हुई कि दक्षिण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि 30 साल में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमने दक्षिण में किया। पहली बार इस अवसर पर केवल विदेशी फिल्में नहीं दिखायीं जो बाहर से आती हैं और जिनके बारे में

कुछ लोगों ने चर्चा की, किसी पोलिश फिल्म की चर्चा की...

SHRI K. LAKKAPPA: After a great struggle only this was done.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : उसमें हमने एक अलग विभाग बनाया जिसको इंडियन पेनोरामा का नाम दिया जिसमें भारत के जिन फिल्म निर्माताओं का नाम लिया जो सोशल परपज के साथ ऐस्थेटिक कंटेंट वाली फिल्में बनाने निकले हैं, उनकी फिल्मों का प्रदर्शन किया। और मुझे सन्तोष है कि जितने भी विदेशी डेलीगेट उसमें आए थे वे सब से ज्यादा उनसे प्रभावित हुए और कहने लगे कि हम तो अब तक समझते थे कि भारत में केवल संख्या की दृष्टि से ज्यादा फिल्में बनती हैं, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि दुनिया के देशों में सब से ज्यादा फिल्में हमारे यहां बन रही हैं, पिछले साल 576 फिल्में बनी तो केवल क्वान्टिटी की दृष्टि से नहीं क्वालिटी की दृष्टि से भी भारत की फिल्में दुनिया की अच्छी से अच्छी फिल्मों से मुकाबला कर सकती हैं, उनकी यहां की फिल्में देख कर आश्चर्य हुआ यह देख कर कि केवल सत्यजीत रे ही नहीं जो सारी दुनिया में अच्छे डाइरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, और भी अच्छे-अच्छे डाइरेक्टर निकले हैं, खास कर कन्नड़ फिल्मों के और हिन्दी के श्याम बेनेगल, जो कि बंगाली हैं, लेकिन हिन्दी फिल्में बनाते हैं। ऐसे-ऐसे अच्छे निर्माता निकले हैं जो अच्छी-अच्छी फिल्में बना रहे हैं, और जो फिल्म मीडियम के महत्व को समझ करके, जिसका जिक्र बहुत से सदस्यों ने किया है, उसका सामाजिक जीवन में कितना अच्छा योगदान हो सकता है, इस बात को ध्यान में रख कर फिल्में बना रहे हैं।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : सत्यजीत रे की "शतरंज के खिलाड़ी" पिक्चर

रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** अभी बताऊंगा आइद सदन को जानकारी नहीं है कि सत्यजीत रे द्वारा "शतरंज के खिलाड़ी" पहली हिन्दी फिल्म थी जो पिछले कई महीनों से डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अटकी हुई थी। और इस समस्या का हल किमने किया ? इसी सरकार के साथ संबंधित फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आगे आकर उसकी व्यवस्था की कि कोई बात नहीं चाहे यह हमारा काम नहीं था। मैं बम्बई की ही बात कह रहा हूँ कि वहां कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, यह रिलीज नहीं हो रही थी। हमको लगा कि इतने उत्कृष्ट कलाकार ने इतनी मेहनत के साथ फिल्म बनाई है वह डिस्ट्रीब्यूशन का टेलेन्ट न होने के कारण मांगला अटका पड़ा है, खटाई में पड़ा है तो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, जिसका साधारणता यह काम नहीं है, उन्होंने परमीशन मांगी गवर्नमेंट से कि हम यह करें, हमने कहा कि करो कोई बात नहीं, उन्होंने फाइनेंस किया और यह काम हो गया।

सरकार ने सेंसर के बारे में जो नीति बनाई, उसके बारे में कुछ गलतफहमियां हैं जिसके आधार पर आज और कल कुछ आलोचनाएं हुई हैं। पिछली बार भी जब खोलना कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसकी वास्तविक सिफारिशों पर चर्चा करने के बजाय एक टैजेशियल इश्यू पर चर्चा शुरू हुई और वह इश्यू था किस्सिंग।  
that is the real issue. I am not of that view.

मैं यह मानता हूँ कि असली मुद्दा अश्लीलता और बसिनीटी, वल्गैरिटी का है, लेकिन लगता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वल्गैरिटी चल सकती है, अश्लीलता चल सकती है पर किस्सिंग नहीं चल सकती।

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:**  
Kissing is part of vulgarity.

**SHRI VASANT SATHE:** Kissing is the most pure and noble thing.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:**  
If the Minister relishes it, I do not mind.

**MR. SPEAKER:** It varies from individual to individual.

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** न पहले के गाइड लाइन्स में और न अब के गाइड लाइन्स में किस्सिंग की परमीशन है। किस्सिंग की कोई परमीशन नहीं है। इस बार मैं हमने इस बात पर बल दिया है कि वल्गैरिटी, और बसिनीटी, सैडिज्म और वायोलेंस नहीं होने चाहियें।

**SHRI K. LAKKAPPA:** What is wrong in Indian kissing? It is a culture.

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी :** नाहटा जी ने सही कहा था कि सेंसरशिप का इश्यू बहुत सेंसेटिव है और उसमें अन्ततोगत्वा जो लोग वहां बैठे हुए हैं, उन पर ही अवलम्बित रहेगा कि वह सेंसरशिप का किस प्रकार से उपयोग करते हैं और फिल्मों को क्या दिशा देते हैं, और इसीलिए सेंसर बोर्ड को रि-कांस्टीट्यूट किया गया है। अच्छे जाने-पहचाने लोग, सौम्य लोग हृषिकेश मुखर्जी, तपन सिन्हा जैसे फिल्म जगत से लिए गये हैं, वी० वी० जान, माधुरी शाह जैसे वाइस चांसलर एजुकेशन के क्षेत्र से लिये गये हैं, भगवती चरण वर्मा, और और जगन्नाथन लेखकों के क्षेत्र से लिए गये हैं। ये ऐसे चुने हुए लोग हैं जिनके कारण मेरे पास बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के लोग आये और कहा कि आपने किस को इसमें बैठा दिया, आपने किन को लिया है, मैंने कहा कि क्या शिकायत है तो कहा कि यह जो फिल्म जगत के लोग भी आपने लिये हैं, यह तो नीट एंड क्लीन फिल्म स्कूल वाले They belong to the school of neat and clean films.

उनकी यह शिकायत थी कि यह तो कर्माशियल सिनेमा वाले नहीं हैं। इस सरकार का दृष्टि-

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

कोण यही है कि फिल्म<sup>1</sup> नीट एंड क्लीन बननी चाहिये। उसके साथ-साथ अगर आप कम-शियल लेते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके साथ नीटनेस और क्लीननेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी (गोपालगंज):  
क्यों समय लगावें ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : बहुत अच्छी बन रही हैं।

मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह जो फिल्म शो आयोजित किये जाते हैं, उसमें सोचा जाता है।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:  
What about Rajan story?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : Let me  
come to the Rajan story.... (व्यवधान)

कल श्री कंवरलालजी ने उल्लेख किया था और सही कहा था कि इस सरकार के आने के पहले कोई फिल्म ऐसी नहीं बन सकती थी जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी सरकारी अधिकारी, किसी सरकारी अफसर या किसी मंत्री या किसी कांस्टेबल की भी आलोचना की जाये यानि कांस्टेबल को भी करप्ट नहीं दिखा सकते हैं। यह स्थिति थी मार्च 1977 तक।

इस सरकार के आये के बाद मैंने कहा कि हमारा एटीच्यूड जो है, जहाँ तक वायोलेंस और आबसीनिटी का सवाल है, हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन जहाँ तक पोलिटिकल डिसेंट का सवाल है, पोलिटिकल व्यूज के एक्सप्रीशन का सवाल है, वह लिबरल होना चाहिए। उस लिबरल एप्रोच के कारण ही अनेक फिल्मों पिछले साल रिलीज हुई हैं, जिन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि पिछले किसी वर्ष में रिलीज नहीं हो सकी थीं। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ।

फिल्म आंदोलन, जो 1942 के आंदोलन से संबंधित है, अटकी हुई थी। पिछली सरकार ने उसे रिलीज करना स्वीकार नहीं किया, लेकिन नई सरकार ने स्वीकार कर लिया। दि डे आफ दि जैकाल और आल दि प्रैजिडेंट्स मैन का जिक्र श्री कंवर लाल गुप्त ने किया है। माननीय सदस्य ने कहा है कि होम मिनिस्ट्री राजन परंज कथा को क्यों देखती रही। मैं बताना चाहता हूँ कि आई० एंड बी० मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री सब एक ही सरकार के भाग हैं।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:  
They are obstructing your new policy.

SHRI L. K. ADVANI: The Government has permitted it. The Government has permitted 'Rajan Paranja Katha'. So far as the Government is concerned, I am very clear on it and that policy is very clear. No one is going to obstruct anyone's policy.

इसके अलावा किस्सा कुर्सी का और साहब बहादुर। मैं सदन को एक और सूचना देना चाहता हूँ। अखबारों में इसकी चर्चा नहीं हुई है—बहुत कम हुई है। इमर्जेन्सी के दौरान एक फिल्म बनी, लगभग डाकुमेंटरी, सेमि-डाकुमेंटरी, ग्राउंडिड, रेसड इन बस्ती। उत्तर प्रदेश में बस्ती के एक गांव में जा कर एक फिल्म निर्माता ने बड़ी मेहनत के साथ एक फिल्म बनाई, जिसमें दिखाया गया कि वहाँ पर हरिजनों के साथ कैसा अत्याचार होता है, किस प्रकार से हरिजनों को कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता है, कैसे उन्हें तरसा-तरसा कर मारते हैं। वह ऐसा चित्र था कि साधारण कमर्शल सिनेमा देखने वाले शायद उससे ऊब जायें, बोर हो जायें कि इसमें कहानी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई सैसिटिव व्यक्ति उसको देखे, तो उसका दिल दहल जायेगा कि आज भी गांवों में ऐसी स्थिति है। छत्रभंग को पिछली सरकार ने अनुमति नहीं दी, लेकिन इस सरकार ने उसे अनुमति दे दी,

यह स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, आप बनाइये ।

कन्नड़ में एक फिल्म बनी, चंड मारुता— श्री लक्ष्मण चले गये है—, जिस के बारे में कहा गया कि यह फिल्म नक्सल-इट्स के बारे में है, यह वायलेंस को प्रोत्साहन देती है । लेकिन जब सेंसर बोर्ड, गवर्नमेंट और मंत्रालय के लोगों ने उसे देखा, तो उन का यह मत नहीं बना । उन्होंने कहा कि हम उस की सब बातों से एग्री नहीं करते है, लेकिन कुल मिला कर उस के कारण कोई वायलेंस को प्रोत्साहन मिलता है, ऐसी बात हम नहीं मानते है । वायलेंस को प्रोत्साहन देने वाली फिल्म के हम पक्ष में नहीं है । लेकिन अलग अलग दृष्टिकोणों को बताना कोई गलत बात नहीं है । इस लिए उस फिल्म को भी यहां से परमिट किया गया ।

मैं समझता हूं कि जितने अलग अलग मुद्दे हो सकते है, ब्राडकास्टिंग, फिल्मज और प्रैस, एक एक का मैं ने जिक्र किया है ।

**SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:** About Journalists' Wage Board, Press delinking and diffusion, etc. you have not said anything. I have made certain charges. What is your reply to those points?

**श्री लाल कृष्ण अडवाणी:** You have not made any charges. I can reply at length. I remember them.

प्रस कमीशन को बनाने के विचार का एक प्रमुख कारण यह है कि हम मानते है कि उन्नीस महीनों में प्रैस पर जो पाबन्दियां लगाई गई, वे सरकार की तरफ से लगाई गई, और हम ने अपनी तरफ से ये पाबंदियां हटा दी । लेकिन मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि केवल सरकार की पाबंदियां हटा देने से प्रैस आजाद नहीं हो जाता है ;

और भी पाबंदियां है । उन पाबन्दियों में आज का ओनरशिप का पैटर्न भी एक पाबन्दी है । उस ओनरशिप के पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से, गम्भीरता से सोचने की जरूरत है । मैं ने फर्स्ट प्रैस कमीशन की रिपोर्ट देखी है । उसके बाद अनेक एक्सरसाइजिज हुई है । उन को भी देखा है । पिछली सरकार डीलिंग और डिफ्यूजन के इस्यु को एक स्लोगन के रूप में प्रयोग करती थी । एक डेमोगागरी के रूप में प्रयोग करती थी । चाहे जब मौका आया, उन को खुश करने के लिए या पत्रकारों को खुश करने के लिए प्रैस डीलिंग की बात और डिफ्यूजन की बात किया करते थे लेकिन कभी किया नहीं । और न करने में अपनी कुछ कमजोरी उन लोगों की होगी लेकिन मैं यह भी मानता हूं क्योंकि जितने लोगों ने जिफ्यूजन और डीलिंग की बात की थी, उन्होंने कभी कोई वायबल आलटरनेटिव प्रेजेन्ट नहीं किया कि अगर यह न हो ती उस का विकल्प क्या है ? अचानक सारा क्रम्बल हो जाय, सारा मामला क्रीश हो जाय, ऐसी स्थिति हो तो यह तो बात अच्छी नहीं है । आज भी लोग कहते है, नेशनल हेराल्ड में कोई प्राबलम हो गई तो आप चलाइए । आप यह करिए, आप यह करिए । हम करने के लिए तैयार नहीं है । तो यह जो वायबल आलटरनेटिव का अभाव है उस के कारण मुझे स्वयं लगा कि अगर हम पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर उस का अध्ययन करने के लिए आज एक आयोग बनाएंगे तो साल भर बाद, डेढ़ साल बाद हम एक सही निर्णय ले सकेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार जब प्रैस आयोग बैठेगा तो उस के सामने जो अनेकानेक मुद्दे होंगे उन में ये दो प्रमुख मुद्दे होंगे कि प्रैस की ओनरशिप का पैटर्न क्या हो । हम साथ साथ यह भी करना चाहते है क्यों कि किसी सदस्य ने कहा था



### [श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

कि प्रेस की आजादी किस तरह से 'गारंटीड' हो सकती है इस को भी देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे संविधान के अन्दर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लेख है आर्टिकल 19 में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अप्लाइज टु आल ईक्वली, सिटिजेन्स पर भी और प्रेस पर भी और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं—

Freedom of the Press is included in the freedom of expression guaranteed under article 19.

मैं समझता हूँ कि प्रेस आयोग को इस बात का भी निरीक्षण करना पड़ेगा कि क्या अगर फ्रीडम ऑफ दि प्रेस स्पेसिफिकली कांस्टीट्यूशनली गारंटीड हो तो उस से कुछ ज्यादा लाभ होगा या आज की स्थिति जो है वह पर्याप्त है। ये सारे मुद्दे हैं जिन को देखने के लिए प्रेस आयोग का गठन शीघ्र किया जाने वाला है। पहला प्रेस आयोग 1952 में बना था और उस का सारा अध्ययन मुख्य रूप से आजादी के पूर्व के इंडियन प्रेस के आधार पर था। लेकिन आज 28 साल हो गए हैं। 28 साल का अनुभव और उस में भी विशेषकर पिछले 19 महीने के अनुभव को देखते हुए जिन 19 महीनों के अनुभव के बारे में लोगों ने कहा कि प्रेस हैड सरेन्डर्ड प्रेस खत्म हो गया शायद मंडल जी ने कहा था और किसी ने कहा मैं ने स्वयं भी एक बार बड़े कटु शब्द का प्रयोग अपने पत्रकार साथियों के लिए किया। मैं स्वयं पत्रकार हूँ यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और लोगों को भी जानना चाहिए कि उस 19 महीने में भी बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने हिम्मत के साथ मुकाबिला किया कोई छोटे छोटे थे कोई बड़े थे उन को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि जर्नलिस्ट्स ने सब ने सरेन्डर कर दिया। कई लोग जेलों में गए और उन में से ऐसे भी लोग थे जो श्री जय प्रकाश नागरायण के आन्दोलन से

सहमत नहीं थे लेकिन जब उन को कहा गया सेमिनार के अखबार को कहा गया कि आप प्री-सेंशरशिप मानिए मैन-स्ट्रीम के अखबार को कहा कि आप प्री-सेंशरशिप मानिए नहीं माना उन लोगों ने मलकानी, कुलदीप नायर जेल चले गए सुन्दर राजन जेल चले गए साधना मराठी में निकलता है साधना गुजराती में निकलता है दिल्ली में भी और छोटे छोटे अखबार निकलते हैं अनेक पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने साहस के साथ प्रेस का रक्षण किया। लेकिन प्रेस आयोग को देखना पड़ेगा कि यह जो प्रेस की स्थिति एरमजेंसी के दौरान हुई वह क्या प्रोफेशनल फेल्योर थी वा इंस्टीट्यूशनल फेल्योर थी संस्थागत कमजोरी थी या व्यक्तिगत रूप से पत्रकारों की कमजोरी थी। इन बातों का अध्ययन करने के लिए मैं समझता हूँ कि प्रेस आयोग को कुछ एक साल का साथ देना पड़ेगा और उसके बाद निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए एक अच्छी दिशा मिल जाएगी।

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** What action will you take to improve the quality of the television and to see that the officials who were the agents of Mrs. Indira Gandhi are punished. That is the question raised for which you did not reply.

**SHRI VASANT SATHE:** That means you will have to punish yourself because Mr. Gupta called you an agent of Mrs. Gandhi.

**SHRI L. K. ADVANI:** He did not say that.

**श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट):** अभी माननीय मंत्री जी ने कहा दो मिनट पहले कि मैं पत्रकार हूँ। अभी तो पत्रकार नहीं हैं वह मंत्री हैं। (स्ववधान)... अध्यक्ष महोदय फिल्म की अभी यहां बहुत बात चली। किस्सा कुर्सी का अभी रिलीज हुआ आप ने टैक्स माफ किया। 1976 में "मजदूर जिन्दाबाद" एक फिल्म रिलीज हुई। दोनों फिल्में देख लीजिए। कम्पेरिजन में उस फिल्म

के अन्दर देश की वास्तविक स्थिति बतायी गई है जहाँ के करोड़पति और ठेकेदार लोग किस तरह से गरीब जनता को लूट रहे हैं यह उस फिल्म में दिखाया गया है। उस फिल्म को आप ने क्या प्रोत्साहन दिया। आप जरा उस को भी देखें—: मजदूर जिन्दाबाद—नोट कर लीजिए।

**SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:** I had sought some specific answers for some of my questions. One was the impact of the new disallowance moved by the Finance Minister in the new Bill and how it is going to affect DAVP and also the losses to All India Radio from this commercial broadcasting. This is a very important factor and I had told him that about seven thousand periodicals and journals are going to be affected. Because the advertising agencies are cutting their budgets it is going to ruin the economy of small newspapers. Another question was about the Wage Board and it is a vital question concerning the working journalists and the press employees. He has not said a word about it.

**MR. SPEAKER:** He has not finished his reply yet.

**SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:** The third is about the appointment—the discontentment in Central Information Services as a result of his wanting a foreign service as the P.I.O. There he does not reply. He is still talking about the Emergency, trying to skirt over the issues. Let me get a specific answer.

**SHRI VASANT SATHE:** I had raised two points. One was that of discrimination to which he has not replied. He gave an answer that because *Yugdarma* is a Hindi paper, it was given advertisements, discontinuing to Marati paper. But there is already a Hindi paper coming from Nagpur, which is well known, "*Navabharat*" *Navabharat* also gets and *Yugdarma* also gets. Why should two Marati dailies get, which *Lokmath*

and *Dharambharat* do not get. That was one point. I had categorically made a pointed charge against Shri Advani of interference and patronising *Hindustan Samachar* and trying to kill *Samachar Bharati*; trying to get *Hindustan Samachar* in the PTI Building with all facilities of news file, etc. He has not touched that. Not only that, I had also said that Mr. Advani is a shareholder to my knowledge of *Hindustan Samachar*, which is an RSS controlled paper and he is deliberately trying to patronise it. He has not mentioned anything about that. I would like to know what his policy is in this regard. Rs. 3½ lakhs more to *Hindustan Samachar*... (Interruptions)

**SHRI SAUGATA ROY:** I listened to Mr. Advani's speech with great deal of patience and respect. But I fail to understand what the Government's policy is with regard to information and broadcasting. It is because he has mentioned about the appointment of a number of committees and commissions. First there was originally one Commission on *Samachar*; then there was another Commission—Verghese Committee and then now there is a Press Commission. Is this going to be the Ministry of Committees and Commissions? That is what I want to clarify.

**SHRI SOMNATH CHATTERJEE** (Jadavpur): It is a joke to hear from Shri Sathe about victimisation. During the Emergency, the Bankura Correspondent of All India Radio, Mr. Alok Mukherjee was retrenched or victimised, because of Emergency and because of the high-handed ruthless dictatorial attitude of the Government of those days. Therefore, may I request Mr. Advani to reinstate him forthwith and do away with one of these Emergency aberrations. This is very important.

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) :  
अध्यक्ष महोदय, काश्मीर रेडियो ग्राल इंडिया

[श्री बलदेव सिंह जसरोटिया]

रेडियो का नाम इस्तेमाल नहीं करता बल्कि काश्मीर रेडियो ही कहता है। क्या वह इससे अलग है? मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि वे इस बात को देखें और आइंदा से काश्मीर रेडियो आल इंडिया काश्मीर रेडियो का नाम ले जैसा कि सारे मुल्क में होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मंत्री जी इसको ठीक करेंगे।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अध्यक्ष जी एक सवाल पूछा गया। उन्नीकृष्णन जी में पूछा और दूसरे सदस्यों ने भी इस का उल्लेख किया।

AN HON. MEMBER: Broadcasting from All India Radio, Delhi, had been drastically curtailed. What is the reason?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : इस बार के बजट प्रोजेक्ट्स में जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में सुझाव हैं, सिफारिशें हैं उन के बारे में उन्नीकृष्णन जी ने और कई सदस्यों ने श्री पूर्ण सिन्हा ने विस्तार से कहा और यह आशंका प्रकट की कि उन के कारण जो छोटे और मध्यम दर्जे के अखबार हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा और हमारे सदस्यों में से भी यहां से श्री अमृत नाहाटा ने उस का बड़े आग्रह के साथ समर्थन किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सम्बन्ध में अनेक ज्ञापन मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं और उस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है लेकिन सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि ये जो बजट प्रोजेक्ट्स हैं, इन के बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना अन्तिम व्यू बनाना पड़ेगा और जो व्यू बनेगा वह सदन के सामने आएगा।

SHRI PURNA SINHA: You should influence the Finance Ministry to withdraw that Budget proposal.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : वेज बोर्ड के बारे में भी कहा गया। जब लेबर मिनिस्ट्री की डिमांड्स आएगी, तो विस्तार से इस बारे

में आप को जानकारी मिलेगी। हमारे जो साथी श्री रवीन्द्र वर्मा जी हैं उन से पिछले दिनों में जानकारी रखता रहा हूँ और हमारी इस बारे में कोशिश रही है कि कोई हल निकल आए। मैं यह बता दूँ कि पत्रकारों और मालिकों का अलग अलग दृष्टिकोण रहा है वेज बोर्ड के बारे में और इन दोनों को एक स्थान पर ला कर के, सरकार के द्वारा उन में बातचीत हुई है। कुछ गतिरोध हैं और इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि कोई हल निकल गया लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि हल निकल जाएगा और मेरे जो साथी हैं, वे उस को ठीक प्रकार से सुलझा सकेंगे।

सी० आई० एस० के बारे में कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया क्योंकि यह स्थान ऐसा है जो पिछले वर्ष भर से, काफी समय से रिक्त रहा है, खाली रहा है। प्रिंसिपल इन्फार्मेशन आफिसर के स्थान के बारे में साधारणतः परम्परा वह रही है कि वह आई० सी० एस० में से ही होता है। वह सामान्य परम्परा है। कुछ कारणों से यह सम्भव नहीं हुआ है। एक कारण यह भी है कि कहीं पर कोई सीनियर आदमी इस स्थान के लिए उपयुक्त हैं भी, तो वे थोड़े समय में रिटायर होने वाले हैं और एक अपवाद के रूप में इस बात को सोचा जा रहा है। यह भी सोचा गया था कि एक वरिष्ठ पत्रकार को इस स्थान पर लाया जाए जिस से पी० आई० वी० का काम अच्छी तरह से हो सके और पिछले दिनों इस बात का भी विचार हुआ है कि सर्विसेज में से किसी को लिया जाए। मैं समझता हूँ कि इस में प्रमुख बात यह होनी चाहिए कि उपयुक्त व्यक्ति हो अच्छा व्यक्ति हो, जिस के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत न हो और व्यक्तिगत रूप से वह अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभा सके। मुझे इस बात का संतोष है कि जितने भी लोगों ने इस प्रसंग को उठाया है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं की है और जो भी शिकायत हुई है वह यह है की आऊट आफ के डर का आदमी नहीं होना

चाहिए और मैं मानता हूँ कि साधारणतः ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता भी है, तो आवाद के रूप में और अस्थायी रूप से और कुछ समय के लिए ही है लेकिन इस बारे में कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है।

**श्री बसंत सठे :** क्या सी० आई०एस० में कोई उपयुक्त आदमी नहीं है ?

**श्री ल. ल. कृष्ण अडवाणी :** सीनियेरिटी का सवाल होता है और दूसरे कई प्रश्न होते हैं। It is not that simple.

लोकमत के बारे में मैं जवाब दे चुका हूँ। इसके बारे में मैंने कहा है कि अगर मेरे आंकड़े गलत हुए तो मैं उनको ठीक करने को तैयार हूँ और निर्णय करने को तैयार हूँ। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ किसी के साथ राजनीतिक आधार पर पक्षपात नहीं किया जाएगा।

आपने उल्लेख किया हिन्दुस्तान समाचार का। मैं तो सोचता था कि हिन्दुस्तान समाचार का इश्यू कई बार उठ चुका है। और अब उसकी बात खत्म हो गयी है। इस संदर्भ में यह कहा गया कि हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को मिलने के लिए मजबूर किया गया, इसकी कोशिश की गयी। मुझे ताज्जुब होता है और ताज्जुब इसलिए होता है कि मेरे पास एक बार डा० एल० एम० सिंघवी जो उसके अध्यक्ष हैं आये और श्री धर्मवीर गांधी जो प्रमुख हैं, वे भी आये। दोनों ने आकर मुझ से इस बात का आग्रह किया कि आप हिन्दुस्तान समाचार को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि हम दोनों मिल जाएँ। मैं जब मुझ पर आरोप लगाया जाता है तो हैरान होता हूँ। उस सदन में भी यह बात उठायी गयी थी और कहा गया था कि मैं हिन्दुस्तान समाचार को मिलने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। जब कि असलियत यह है कि डा०

एल० एम० सिंघवी और धर्मवीर गांधी मेरे पास परसनल्ली आये थे और यह कहने के लिए आये थे that I should use my good offices with Hindustan Samachar to make the two merge. This is quite contrary to what you are saying, i.e. to your charge. लेकिन मैंने उनको कहा कि देखिये इस बारे में मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं सरकार में हूँ। There was no question of doing it at that time. I have never suggested anything. It was Samachar Bharati that suggested to me, that I should use my good offices to bring them together.

अब मैंने उनको यह जरूर कहा कि मेरा व्यक्तिगत मत यही है कि आप दोनों मिल जाओ तो अच्छा हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके कारण, आप की viability बढ़ जाएगी।

I said "But this is something for you two to thrash out amongst yourselves. These facts are distorted in this manner, and responsible Members of Parliament are standing up in this House and saying....

अब यह कहना कि मैंने उनको मजबूर किया, मैं कहता हूँ कि आप डा० सिंघवी से तो पूछ लेते।

**SHRI VASANT SATHE:** I will rely more on you. Come along. You tell us.

**SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:** What about accommodation and grant?

**SHRI L. K. ADVANI:** The second point is about Hindustan Samachar being given accommodation in the PTI building. Thanks are being attributed to me, when the fact is

[Shri L. K. Advani]

that at the time it came to my notice. I requested PTI to try to give accommodation to Samachar Bharati also.

मैं आपको फ़ैक्ट्स बता सकता हूँ। यह तो मुझको पहली बार पता चला, आज से महीने भर पहले की बात मैं कह रहा हूँ जिस दिन मुझे इस बात का पता लगा कि पी० टी० आई० हिन्दुस्तान समाचार को शायद अपने यहां अक्रोमोडेशन देने वाला है। इस बीच में हिन्दुस्तान समाचार और हिन्दुस्तान भारती के लोग मेरे पास आये और उन्होंने मुझ से कहा कि हमको मिनिस्ट्री से मकान मिलना चाहिए और मैंने इसके लिए बक्स हाउसिंग मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उस पर विचार किया और मुझे तथा उनको जवाब दिया कि मकानों की कमी होने के कारण वे मकान देने की स्थिति में नहीं हैं। जिस दिन मुझ को यह पता चला कि पी० टी० आई० वाले हिन्दुस्तान समाचार को कार्यालय के लिए जगह दे रहे हैं तो मैंने पी० टी० आई० के चेयरमेन से कहा कि आपके पास जब जगह है, आप हिन्दुस्तान समाचार को दे रहे हैं, आप समाचार भारती को भी क्यों नहीं देने हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। मैंने उनको कहा कि मुझे पता चला है कि आप उनको जगह दे रहे हैं। उसके बाद मैंने बक्स हाउसिंग के अपने मंत्री जी से भी यह निवेदन किया कि इन दोनों को मकान देने के लिए आप फिर से विचार करें तो अच्छा रहेगा। मैंने उनसे यह भी कहा कि इन अखबार एजेंसियों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सरकार की ओर से सहायता देने का निश्चय किया गया है। सरकार जहां इन्हें धन के रूप में सहायता दे रही है, वहां अगर आप इन्हें मकान के रूप में भी सहायता दे सकें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने इस पर फिर से विचार कर के, मुझ को अपना निर्णय कम्प्युनिकेट किया कि हम इन दोनों को मकान दे रहे हैं और इस बीच में

किसी स्टेज पर पी० टी० आई० ने भी हिन्दुस्तान समाचार को मकान देने की रजामंदी दिखायी।

17.00 hrs.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: You give more money to one agency.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में अगर पत्रकार जगत् आगे बढ़ेगा पत्र-आगे बढ़ेंगे तो जब तक भाषाई एजेंसियों में समाचार प्रसारित नहीं होते तब तक पत्रों की वृद्धि नहीं होगी। इसलिए जो भी लोग भाषाई समाचारों और समाचापत्रों की वृद्धि में सचमुच रुचि रखते हैं, ईमानदारी से रखते हैं, उनको गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। भारती और हिन्दुस्तान समाचार को बनाए रखने में किसी का निहित स्वार्थ हो सकता है लेकिन मैं कहूंगा कि भाषाई पत्रों का हितचिन्तक होने के नाते यह कभी उचित नहीं होगा और मैं मानता हूँ कि दोनों एजेंसियां मिल कर चलें तो बहुत अच्छा है, अलग अलग चलें तो अच्छा है। लेकिन हमारी तरफ से भाषाई पत्रों को और भाषाई एजेंसियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा।

अधिक पैसे की बात की जाती है। यह कहा जाता है कि दस ग्यारह लाख उनको दे दिया, आठ साढ़े आठ लाख उनको दे दिया यह बात सही है। सबसे ज्यादा शायद यू० एन० आई० की दिया गया है...

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: First you decide to give Rs. 8 lakhs to each agency.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : I know everything. Let me complete.

जिस समय धनराशि देने का निर्णय किया गया था तब यह देखा गया था कि अलग-अलग एजेंसियों की जिस समय वे मर्ज

हुई थीं उनकी स्थिति क्या थी, कितने उनके आफिस थे, कितने उनके पत्रकार थे, कितना उनका सबस्क्रिपशन था, कितने सबसक्राइबर थे, सरकार की ओर से उनको कितना दिया जाता था और सब देखकर ही यह निर्णय किया गया। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जिस समय मैं मंत्री नहीं था, कोई और था, पिछली सरकार भी उस समय भी ये सब बातें कही जाती थीं बालेश्वर अग्रवाल और आर.एस.एस. का जिक्र तब भी किया जाता था और उस समय भी रेडियों की ओर से हर साल 51000 रुपये का सबस्क्रिपशन हिन्दुस्तान समाचार को दिया जाता था और 25000 का समाचार भारती को दिया जाता था। अब साढ़े आठ लाख और ग्यारह लाख है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब मैंने इस मंत्रालय के काम को सम्भाला तो डिस्क्रीशनरी-पावर्ज ही पावर्ज थीं, अधिकार ही अधिकार थे। मादलंकर जी ठीक कह रहे थे कि हमारी तरफ से कोशिश त्नी चाहिए कि शक्ति जो केन्द्रित हो गई थी उसको बांटा जाए, छोड़ा जाए, भीड़िया को दी जाए विज्ञापन के मामले में। समाचार एजेंसी के मामले में कोशिश शुरू हुई है और जो भी निर्णय हुआ है इसी आधार पर हुआ है इसी सिद्धान्त पर हुआ और कोई उस में मीन मेख न निकाल सके, इसकी कोशिश की गई है। हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के बारे में यही रवैया अपनाया गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने इरोजन आफ रेडियो स्टेशन का उल्लेख किया है। मैं इन्कार नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि दिल्ली तक के रेडियो स्टेशन को एकास दी बोर्ड नहीं सुना जा सकता है और बहुत पावरफुल ट्रांसमिटर उधर होने के कारण इरोजन बहुत सीरियस होता है। सरकार ने इस पर विचार किया है और एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, एम्बीशस स्कीम बनाई है ताकि हम अपने ट्रांसमिटर को स्ट्रैगथन कर

सकें, नए ट्रांसमिटर और खड़े करें। हमने ब्राडकास्टिंग के पचास वर्ष पूरे होने पर समारोह किए हैं। 1947 में छः रेडियो स्टेशन थे भारत में, आज 85 है। ये मात्र संगीत और मनोरंजन नहीं करते हैं। उनके द्वारा शिक्षण का कार्य भी होता है। तीन दिन पहले मैं बंगलौर गया था। उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। वहाँ पर फार्म स्कूल आन दी एयर, यह योजना शुरू की गई है। बारह सौ किसानों ने अपने को रजिस्टर उसमें कराया। पडी कल्टीवेशन कैसे हम इम्प्रूव करें इसके लिए 50-55 लक्चर और कोसिस हुए। कोसिस के बाद उन्होंने परीक्षाएँ दीं। बारह तेरह सौ किसान उन में बैठे। उन में से बीस लोगों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। एक कैंटल फेयर का भी आयोजन था। देवनाली जिले का एक छोटा सा गांव विनयपुर है वहाँ यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसको देख कर बड़ी खुशी हुई। वहाँ किसानों में रेडियों के प्रति बहुत रुचि है। सरकार की नीति यही रहेगी कि यह दिशा और आगे बढ़े। और ब्रौडकास्टिंग, रेडिया और टी० बी० न केवल मनोरंजन का बल्कि मास एजुकेशन का, सोशल अध्येरनस का एक प्रभावी माध्यम बन सके।

**SHRI SOMNATH CHATTERJEE:**  
What about Bankura problem?

**SHRI L. K. ADVANI:** I am aware of that problem.

**SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:**  
What about Press Commission?

**SHRI L. K. ADVANI:** A Bill was introduced in the other House and the Bill had been referred to the Joint Committee. I am going to come with a motion in this House also for seeking the participation of Members in that Committee.

**SHRI VASANT SATHE:** What about injustice done to C. S. Pandit and Shri Srikant Varma?

श्री बलदेव सिंह गसरोटिया : मिनिस्टर साहब काश्मीर के बारे में भी कुछ कहें ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अध्यक्ष जी, वह एक पुरानी परम्परा चली आयी हुई है उसको बदलने की आज कोई अरजेंसी और औचित्य मुझे नहीं दिखाई देता है ।

MR. SPEAKER: Now, I shall put the cut motion of Shri Purna Sinha to the vote of the House.

*Cut motion No. 1 was put and negatived.*

MR. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to

*Demands for Grants, 1978-79 in respect of the Ministry of Information and Broadcasting voted by Lok Sabha*

the Ministry of Information & Broadcasting to the vote of the House. The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1979, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 62 to 64 relating to the Ministry of Information and Broadcasting."

*The motion was adopted.*

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the house on 16-3-1978		Amount of Demand for Grant voted by the House	
		Revenue Rs	Capital Rs	Revenue Rs	Capital Rs
1	2		3		4
<b>MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING</b>					
62	Ministry of Information and Broadcasting	13,89,000	..	69,46,000	..
63.	Information and Publicity	3,37,74,000	27,29,000	15,88,68,000	1,36,47,000
64.	Broadcasting	11,52,66,000	3,00,64,000	57,63,31,000	15,03,20,000

**MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND  
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION**

MR. SPEAKER: The House will now take up Demands Nos. 89 to 93 relating to the Ministry of Works & Housing and Demands Nos. 82 to 84 relating to the Ministry of Supply & Rehabilitation for which four hours have been allotted. Hon. Members who wish to move cut motions, may

send a slip to the Table within 15 minutes.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that